न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।

उपस्थितः– मोहम्मद रफी (एच०जे०एस०)

UPSD010028342021

Sessions Case/955/2021

राज्य उ०प्र०----------अभियोजक

बनाम

1. सैय्यद अली उर्फ बब्लू पुत्र मुन्नन उर्फ मुन्नू साकिन मदरहिया, थाना ढेबरुआ, जिला–सिद्धार्थनगर।

2. साबिर पुत्र रोजन, साकिन वार्ड नं०–9 चैपुरवा, थाना कृष्णानगर, जिला कपिलवस्तु राष्ट्र नेपाल।

3. रफीकुल्लाह खान पुत्र अब्दुल्लाह खान,

4. शानू उर्फ आफाक अहमद पुत्र सफीक अहमद,

5. पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन पुत्र मो० ईशा,

6. बब्लू उर्फ मैनुद्दीन पुत्र हकीकुल्लाह

साकिनान–दुधवनिया बुजुर्ग, थाना ढेबरुआ, जिला सिद्धार्थनगर

7. रामदेव विश्वकर्मा पुत्र राम प्रसाद विश्वकर्मा साकिन–भरौली, थाना ढेबरुआ, जिला सिद्धार्थनगर

---अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध सं०–95/2021
अंतर्गत धारा–302/120 बी,
394/120 बी, 412 भा०दं०सं०
थाना– ढेबरुआ
जनपद– सिद्धार्थनगर।

निर्णय

1. अभियुक्तगण सैय्यद अली उर्फ बबलू, साबिर, रफीकुल्लाह खान, शानू उर्फ आफाक अहमद, पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन, बब्लू उर्फ मैनुद्दीन व रामदेव के विरूद्ध थाना ढेबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा–302, 394, 412 व 120 बी

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.04.28 16:39:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भा०दं०सं० पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर द्वारा संज्ञान लेकर मामले को सत्र परीक्षणीय पाते हुए दिनांक–16.08.2021 को सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया। सत्र न्यायालय से स्थानान्तरण द्वारा पत्रावली इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुई।

2. वादी मुकदमा राम दयाल यादव के द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना ढेबरुआ, सिद्धार्थनगर को इस आशय की तहरीर दी गयी कि "प्रार्थी प्रार्थी रामदयाल यादव पुत्र स्व० राम लखन यादव ग्राम भेलौहा थाना इटवा जिला सिद्धार्थनगर का निवासी है। मेरा लड़का प्रदीप यादव जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष थी। आज दिनांक–01.05.2021 को समय करीब 5.30 बजे घर से अपनी साली की शादी में ग्राम गड़रखा हेतु अपनी मोटर साइकल से घर से निकला था और ग्राम पचपेड़वा थाना ढेबरुआ जाकर अपने साढू महेश यादव साथ लेकर शादी में देने के लिए समान कठेला कोठी से खरीद कर अपने साढू महेश के साथ ग्राम खैरी उर्फ छुगाहवा होकर ग्राम गड़रखा जा रहा कि समय करीब 8 बजे रात्रि में ग्राम खैरी उर्फ छुगहवाके सिवान में पुलिया के पास अज्ञात व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दिया तथा प्रदीप की मोटरसाइकिल व ओप्पो मोबाइल तथा महेश की मोबाइल लेकर भाग गये, महेश भी घायल है। महेश ग्राम गड़रखा जाकर हमारे घर पर मोबाइल से सूचना दिया जिसकी सूचना पाकर मैं अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि मेरे लड़के प्रदीप क लाश पुलिया के पास नीचे पड़ी है। महेश को दवा इलाज हेतु अस्पताल भेजवा दिया गया है। सूचना दे रहा हूँ। मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें।"

3. वादी मुकदमा राम दयाल यादव की उक्त तहरीर के आधार पर थाना ढेबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर में मुकदमा अपराध संख्या–95/2021, अन्तर्गत धारा–302, 394 भा०दं०सं० के तहत अज्ञात के विरुद्ध दिनांक–01.05.2021 को समय 23.50 बजे पंजीकृत किया गया।

4. उक्त मुकदमे की विवेचना की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी व अन्य साक्षीगण के बयान लिये, घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण सैय्यद अली उर्फ बबलू, साबिर, रफीकुल्लाह खान, शानू उर्फ आफाक अहमद, पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन, बब्लू उर्फ मैनुद्दीन व रामदेव के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–302, 394, 412 व 120 बी भा०दं०सं० के तहत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. विचारण के दौरान दिनांक–01.10.2021 को अभियुक्तगण सैय्यद अली उर्फ बबलू, साबिर, रफीकुल्लाह खान, शानू उर्फ आफाक अहमद, पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन, बब्लू उर्फ मैनुद्दीन व रामदेव के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–302/120 बी, 394/120 बी, 412 भा०दं०सं०

के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Manojbhai Jethabhai Parmar(Rohit) V. The State of Gujarat 2025 INSC 1433 के मामले में पारित विधि व्यवस्था के अनुरूप अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य निम्नांकित हैं–

6.1 विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित–16.02.2026 प्रस्तुत कर साक्षियों के क्रम संख्या व प्रदर्शों के क्रम संख्या को दुरूस्त किये जाने की याचना की गयी, प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अभियोजन साक्षी दुर्विजय प्रसाद को पी०डब्लू०–6 के स्थान पर पी०डब्लू०–5 क एवं नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 को प्रदर्श क–6 क किया गया।

क्र.सं.	**प्रपत्र का विवरण**	**प्रदर्श सं०**	**सत्यापन कर्ता**
1.	तहरीरी प्रार्थना पत्र	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू०–1
2.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू०–4
3.	मजरूब महेश से संबंधित चिकित्सीय रजिस्टर की छायाप्रति	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू०–5
4.	रेफर स्लिप	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू०–5
5.	एफ०आई०आर०	प्रदर्श क–5	पी०डब्लू०–5 क
6.	कायमी पर	प्रदर्श क–6	पी०डब्लू०–5 क
7.	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–6 क	पी०डब्लू०–6
8.	बरामदशुदा माल का फर्द	प्रदर्श क–7	पी०डब्लू०–6
9.	रक्त रंजित टीशर्ट का फर्द	प्रदर्श क–8	पी०डब्लू०–6
10.	फर्द	प्रदर्श क –9	पी०डब्लू०–6
11.	पंचनामा	प्रदर्श क–10	पी०डब्लू०–7
12.	पुलिस फार्म 9 क/2	प्रदर्श क–11	पी०डब्लू०–7
13.	पुलिस फार्म 9 क/3	प्रदर्श क–12	पी०डब्लू०–7
14.	फोटो शवनाश	प्रदर्श क–13	पी०डब्लू०–7
15.	प्रपत्र पत्र प्रतिसार निरीक्षक	प्रदर्श क–14	पी०डब्लू०–7
16.	पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी	प्रदर्श क–15	पी०डब्लू०–7
17.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–16	पी०डब्लू०–8

क्र. सं.	**वस्तु का विवरण**	**वस्तु प्रदर्श सं०**	**सत्यापन कर्ता**
1.	लोहे के राड पर	वस्तु प्रदर्श–1	पी०डब्लू०–6
2.	सफेद कपड़े पर	वस्तु प्रदर्श–2	पी०डब्लू०–6
3.	तमंचा पर	वस्तु प्रदर्श–3	पी०डब्लू०–6
4.	कपड़े पर	वस्तु प्रदर्श–4	पी०डब्लू०–6
5.	लाल रंग की टीशर्ट पर	वस्तु प्रदर्श–5	पी०डब्लू०–6

6.	सफेद पोटली पर	वस्तु प्रदर्श–6	पी०डब्लू०–6
7.	मृतक की सिम पर	वस्तु प्रदर्श–7	पी०डब्लू०–6
8.	रेडमी कंपनी के मोबाइल पर	वस्तु प्रदर्श–8	पी०डब्लू०–6
9.	महेश के फोन पर	वस्तु प्रदर्श–9	पी०डब्लू०–6
10.	पोटली पर	वस्तु प्रदर्श–10	पी०डब्लू०–6
11.	पहले वाली पोटली पर	वस्तु प्रदर्श–11	पी०डब्लू०–6
12.	पहले डिब्बे पर	वस्तु प्रदर्श–12	पी०डब्लू०–6
13.	दूसरे डिब्बे पर	वस्तु प्रदर्श–13	पी०डब्लू०–6
14.	चाकू पर	वस्तु प्रदर्श–14	पी०डब्लू०–6
15.	राडनुमा मेलकवर पर	वस्तु प्रदर्श–15	पी०डब्लू०–6
16.	काले रंग के कपड़े पर	वस्तु प्रदर्श–16	पी०डब्लू०–6
17.	सील बंद कपड़े पर	वस्तु प्रदर्श–17	पी०डब्लू०–6
18.	कारतूस 315 बोर पर	वस्तु प्रदर्श–18	पी०डब्लू०–6
19.	खोखा कारतूस पर	वस्तु प्रदर्श–19	पी०डब्लू०–6
20.	जिंदा कारतूस पर	वस्तु प्रदर्श–20	पी०डब्लू०–6
21.	पोटली पर	वस्तु प्रदर्श–21	पी०डब्लू०–6
22.	तमंचे पर	वस्तु प्रदर्श–22	पी०डब्लू०–6
23.	खोखा पर	वस्तु प्रदर्श–23	पी०डब्लू०–6
24.	जिंदा कारतूस पर	वस्तु प्रदर्श–24	पी०डब्लू०–6
25.	सफेद पोटली पर	वस्तु प्रदर्श–25	पी०डब्लू०–6

7. अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है।

साक्षी सं०	**साक्षी का नाम**	**साक्षी की प्रकृति**
पी०डब्लू०–1	रामदयाल	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०–2	महेश	चश्मदीद साक्षी
पी०डब्लू०–3	राजमती	तथ्य का गवाह
पी०डब्लू०–4	डॉ० संजय चौधरी	पोस्टमार्टम कर्ता
पी०डब्लू०–5	डॉ० महेन्द्र कुमार	रेफर कर्ता
पी०डब्लू०–5 क	दुर्विजय प्रसाद	एफ०आई०आर० लेखक
पी०डब्लू०–6	तहसीलदार सिंह	विवचक
पी०डब्लू०–7	रणविजय सिंह	पंचनामा कर्ता
पी०डब्लू०–8	दिनेश चन्द्र चौधरी	विवेचक

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त दिनांक–18.02.2026 को सैय्यद अली उर्फ बबलू, साबिर, रफीकुल्लाह खान, शानू उर्फ आफाक अहमद, पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन, बब्लू उर्फ मैनुद्दीन व रामदेव का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए साक्षीगण द्वारा

गलत बयान दिया जाना, विवेचक द्वारा गलत ढंग से फंसाया जाना एवं मुकदमा रंजिशन चलना बताते हुए सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है। अभियुक्त रामदेव ने बताया कि उसने किसी अपराध के लिए मोटरसाइकिल नहीं दी थी।

9. बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य में डी०डब्लू०–1 के रूप में बदरे आलम तथा डी०डब्लू०–2 के रूप में खलकुल्लाह को प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष की ओर से दाखिल किये गये निम्नलिखित दस्तावेजों को साबित किया गया है।

क्र. सं०	**प्रपत्र का विवरण**	**प्रदर्श सं०**
1.	जरिए रजिस्ट्री शपथपत्र के माध्यम से विवेचक को बयान	प्रदर्श क–1
2.	जरिए रजिस्ट्री शपथपत्र के माध्यम से विवेचक को बयान	प्रदर्श क–2

10. अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के माध्यम से अभियोजन कथानक को साबित किया गया है या नहीं, इस सम्बन्ध में उनके बयानों को संक्षेप में उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा।

11. साक्षी पी०डब्लू०–1 रामदयाल पुत्र रामलखन निवासी भेलौटा थाना कठेला समय माता , जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "मेरे लड़के का नाम प्रदीप यादव था। घटना के समय उसकी उम्र 25 वर्ष थी। आज से लगभग सालभर से ऊपर हो रहा है। मई महीने की पहली तारीख थी समय करीब 5.30 बजे शाम को मेरा लड़का प्रदीप यादव घर से अपनी मोटरसाइकिल पैशन प्रो से अपने साढू महेश यादव के घर पचपेड़वा गया और वहां से उनको लिवाकर ग्राम कठेला कोटी से सामान खरीदकर अपने साढू महेश के साथ ग्राम खैरी उर्फ झुनहवा होकर ग्राम बड़रखा जा रहा था कि समय करीब 8 बजे रात में ग्राम खैरी उर्फ झुनहवा के सीवान में पुलिया के पास अज्ञात व्यक्तियों ने चाकू मारकर हत्या कर दिया तथा प्रदीप की मोटरसाइकिल व पोको मोबाइल तथा महेश की भी मोबाइल लेकर भाग गये। महेश घायल था, उसके भी चोटे आयी थी। महेश अपने ससुराल में छेदी के यहां ग्राम मदरखा जाकर हमारे घर किसी दूसरे मोबाइल से सूचना दिया। सूचना पर मैं अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि मेरे लड़के प्रदीप की लाश पुलिया के नीचे पड़ी है। महेश के दवा इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया। मेरा लड़का दिल्ली से एक सप्ताह पहले आया था। उसके ससुराल उसकी साली की शादी थी। इसलिए अपने साढू के साथ अपने ससुराल जा रहा था। घटना के बावत मैने अपने भतीजे अर्जुन से प्रापत्र लिखवाकर उनसे लिखी हुई बात को सुनकर तब मैने अपना अंगूठा लगाया था। तहरीर एस.एच.ओ. थाना प्रभारी ढेबरुआ को दिया था। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज सं०–5 क को दिखाकर पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यही वह प्रार्थना पत्र है जिसको मैने घटना के बावत थानाध्यक्ष ढेबरुआ को दिया था। इस पर मेरे अंगूठे का निशान है। जिसको मैने अपने भतीजे अर्जुन यादव से लिखवाया था। लिखने के बाद अर्जुन यादव ने मुझे

पढ़कर सुनाया था। तब मैने इस पर अपना अंगूठा लगाया था। इसकी मैं पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–15 डाला जावे। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

12. साक्षी पी०डब्लू०–2 महेश पुत्र खेलावन निवासी पचपेड़वा रेहरा कला थाना ढेबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "हमारे साढू का नाम प्रदीप था। यह भेलौहा के रहने वाले थे। हम दोनों की ससुराल गड़रखा थी। घटना का दिनांक–01.05.2021 था। घटना हुए डेढ़ साल से कम हो रहा है। घटना वाले दिन प्रदीप मेरे घर आये थे, फिर हमारे साथ कठेला मोटरसाइकिल से गये। मोटरसाइकिल प्रदीप की थी। कठेलाकोठी में कुछ सामान खरीदे, फिर वहां से अपने ससुराल गड़रखा च दिये। मोटरसाइकिल मैं चला रहा था। कौवाडीह के लगभग पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल से 03 आदमी पहुंचे और हमको रोके, मोटरसाइकिल लेकर रुक गया पहले मुझे राड से मारा, मैं मोटरसाइकिल से गिर गया। चाकू से मारा फिर हमे उठाकर फेक दिया। जब प्रदीप बचाने गये तो उन तीनों ने प्रदीप को चाकू से मारा। मैं किसी तरह से गिरते पड़ते अपने ससुराल पहुंचा, तब मुझे एंबूलेंस से बढ़नी ब्लाक अस्पताल लाये। फिर वहां से जिला अस्पताल रेफर किया। जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर ले गये। यहां से भी रेफर कर दिये। वहां से गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिये, परन्तु वहां एडमिट नहीं किये। तब मुझे प्राइवेट दवा इलाज हुआ। प्रदीप की मृत्यु इन्हीं लोगों के मारने से हुई थी। हमारा शर्ट खून से लतपत था। मेरा मोबाइल, प्रदीप का मोबाइल व उनका मोटरसाइकिल ले लिये थे। मेरा पैसा भी ले लिये थे। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। "

13. साक्षी पी०डब्लू०–3 राजमती पत्नी रामदयाल निवासी ग्राम भेल्हुवा थाना कठेला समय माता, जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "मेरा लड़का प्रदीप यादव घटना के लगभग 9 दिन पूर्व मुम्बई से आया था। उसके ससुराल गड़रखा में उसकी साली की शादी थी। घटना हुए साल भर से ऊपर हो गया, घटना के दिन मेरा लड़का अपने साढू महेश के घर पचपेड़वा गया था। वहां से मेरा लड़का अपनी मोटरसाइकिल से महेश को बैठाकर कठेला बाजार गया। कठेला बाजार से गड़रखा ससुराल के लिए दोनों जा रहे थे, अंधेरा हो गया था। खैरी उर्फ सुनहवा के सिवान में पुलिया के पास पहुंचे थे वहीं पर मेरे लड़के की हत्या हो गयी तथा महेश को चोटे आयी थी। महेश किसी तरह से भाग करके (चल करके) गड़रखा गये। गड़रखा से हम लोगों को घटना की जानकारी हुई। दरोगा जी ने घटना के बावत मेरा बयान लिया था।"

14. साक्षी पी०डब्लू०–4 डॉ० संजय चौधरी वर्तमान तैनाती चिकित्साधिकारी सी.एच.सी. कटरा बाजार जनपद गोण्डा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "दिनांक–02.05.2021 को मैं जिला संयुक्त चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में मैं बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत था। उसी दिन मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम करने हेतु लगायी गयी थी। उसी दिन

ढेबरुआ थाना की पुलिस लवकुश वर्मा व पंकज वर्मा के द्वारा मृतक प्रदीप यादव पुत्र राम दयाल यादव के शव को 8 पुलिस प्रपत्रों के साथ पोस्टमार्टम हेतु लाया गया था। जिसका शिनाख्त दीप यादव और रामदयाल ने किया था। शव की उंचाई 165 सेमी. छरहरा एवं औसत कद काठी का था। शव के शरीर पर कच्छा, बनियान, अंगोछा, बेल्ट, जूता–मोजा, सफेद धातु की अंगूठी, गले में मोती की माला सफेद धातु की ताबीज मौजूद था। मृतक के शरीर में हाथ व पैर दोनों में अकड़न उपस्थित था। मुंख और आंख बन्द था।

15. <u>वाह्य चोटें–</u> मृतक के शरीर पर सीने पर दोनों निपल के बीच में गहरा घाव था (स्टेप उन्ड) जो बाये निलय से 8 सेमी दाहिने तरफ था। जिसकी साइ 2.5 सेमी. x 1.00 सेमी. तथा 6 सेमी. गहरा दिल तक था।

16. <u>आन्तरिक परीक्षण–</u> आंतरिक चोट में सिर और मस्तिष्क सामान्य था। गर्दन सामान्य था। दोनों फेफड़े फेल थे। दिल में छेद हो गया था। दिल में खून का थक्का मौजूद था जहां चोट लगी थी बाया चेम्बर खाली था। दाहिना आंशिक भरा था। पेट में लगभग 150 एमएल अधपचा भोज्य पदार्थ था। छोटी आंत में पेस्टी मैटेरियल और गैस था। बड़ी आंत में मल और गैस था। यकृत और प्लीहा फेल था। दोनों गुर्दे फेल थे। मूत्राशय खाली था। स्पाइनल कार्ड खोला नहीं गया था। मृत्यु का संभावित समय लगभग 01 दिन का हो सकता है और मृत्यु का तात्कालिक कारण हेमरेज एवं शाक जो मृत्यु पूर्व आयी (इंजरी) चोट के कारण थी। शामिल पत्रावली पेपर सं०–11 क/2 मृतक प्रदीप यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के रूप में है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। मृतक को जो घाव सीने पर आयी है वह किसी लोहे के राड या सब्बल या नुकीले राड से आ सकती है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

17. साक्षी पी०डब्लू०–5 डॉ० महेन्द्र कुमार वर्तमान तैनाती जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "दिनांक–02.05.2021 को मैं जिला संयुक्त चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन मेरी ड्यूटी इमरजेन्सी में लगी थी। ढेबरुआ थाने की पुलिस द्वारा मजरूब महेश पुत्र खेलावन को लेकर आयी थी और उसके साथ उसका भाई सुरेश भी था। मैने मजरूब का चिकित्सीय परीक्षण 21.55 ए.एम. पर किया था। मजरूब को निम्न चोटे पायी गयी थी।

चोट नं०–1 L.W. 3 सेमी x 0.5 सेमी डीप मसिल्स जो दाहिने साइड पेट के ऊपरी हिस्से में नाभि से 14 सेमी. ऊपर बगल की तरफ थी। खून का थक्का जमा था। इस चोट को सर्जन के लिए संदर्भित किया गया था।

18. चोट नं०–2 L.W 4 सेमी x 0.5 सेमी x मसिल्स डीप गले के दाहिने साइड गले के बीच में सार्प क्लियर मार्जिन के साथ खून के साथ उपस्थित था। इस चोट को ओपीनियन एवं

उपचार हेतु सर्जन को रिफर किया गया। मैने मजरूब महेश की चिकित्सीय आख्या तैयार किया था जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है और उस पर मजरूब के अंगूठे के निशान भी लगे हैं। आज मैं अपने साथ मजरूब महेश से संबंधित चिकित्सीय रजिस्टर लेकर आया हूँ और उसकी छायाप्रति को प्रमाणित करके दाखिल कर रहा हूँ। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला जाय और उसी दिन मैने मजरूब महेश का मैने 1.30 पी०एम० पर चोटों की गंभीरता को देखते हुए बी०आर०डी० कालेज गोरखपुर रिफर कर दिया था। आज पत्रावली में पेपर सं०–11 क के रूप में संलग्न है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–4 डाला जाए। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

19. साक्षी पी०डब्लू०–**5 क** दुर्विजय प्रसाद हेड मु० थाना ढेबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "दिनांक–01.05.2021 को मैं थाना ढेबरुआ जिला सिद्धार्थनगर में हेड मुहर्रिर के पद पर कार्यरत था। उसी दिन वादी मुकदमा रामदयाल पुत्र स्व० रामलखन यादव के प्रापत्र के आधार पर व थानाध्यक्ष के आदेशानुसार मैने चिक एफ०आई०आर० सी.सी.टी.एन.एस. से बोलकर वादी मुकदमा के प्रापत्र के अनुसार अक्षरशः शब्द व शब्द टाईप करवाया था। जो शामिल पत्रावली कागज सं०–4 क/1 लगायत 4 क/3 के रूप में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–5 डाला जावे। उसी दिन मैने रपट नं०–42 समय 23.50 बजे मुकदमे की जीडी की कायमी भी सीसीटीएनएस से बोलकर टाईप कराया था जो शामिल पत्रावली कागज सं–०–6 क/4 के रूप में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–6 डाला जाय। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। "

20. साक्षी पी०डब्लू०–6 तहसीलदार सिंह पुलिस निरीक्षक पुलिस लाईन सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि " दिनांक–01.05.2021 को मैं थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर में प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त था। उसी दिन थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर में पंजीकृत मु०अ०सं० 95/21 धारा–302, 394 की विवेचना मैने ग्रहण की थी। दिनांक–02.05.21 को मैने नकल चिक व नकल रपट व कायमी का अवलोकन कर उसका तस्करा सीडी में किया तथा उसी दिन मजरूब महेश यादव को एम्बुलेंस से पी.एच.सी. बढ़नी से जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर रेफर किया गया था। उक्त सूचना पर मैं जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर गया और मजरूब के चोटो का अवलोकन किया तथा डाक्टर महेन्द्र मौर्या जो कि मजरूब महेश यादव की चिकित्सा कर रहे थे का बयान बयान लेकर उसका तस्करा सीडी में किया। उसी दिन घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जो शामिल पत्रावली कागज सं०–7 क के रूप में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–5 डाला जावे। दिनांक–02.05.21 को ही एस०आई० रणविजय सिंह ने शव का पंचायतनामा तैयार किया था। उसी दिन घटनास्थल से मैने

दौरान निरीक्षण घटनास्थल व जांच पड़ताल शव से करीब 3 कदम बाये एक अदद देशी तमंचा 315 बोर लोहे का जिसका हुलिया फर्द में उल्लिखित है। बरामदशुदा माल का फर्द कागज सं०–16 क के रूप में शामिल मिसिल है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–7 डाला जाए। इससे संबंधित माल मुकदमाती न्यायालय के आदेशानुसार खोला गया जो एक सफेद कपड़े में सर्वमोहर हालत में पाया गया। जिस पर नीले रंग से मु०अ०सं० 95/21, धारा–302, 394 भा०दं०सं० थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर लिखा हुआ पाया गया। जिस पर सभी के हस्ताक्षर अंकित है। जिसके अन्दर लोहे का राड पाया गया। जिस पर वस्तु प्रदर्श 1 एवं सफेद कपड़े जिसमे यह लिपटा हुआ पाया गया जिस पर वस्तु प्रदर्श 2 डाला गया। माल मुकदमाती एक अदद तमंचा 315 बोर जो घटनास्थल से प्राप्त हुआ था। सफेद रंग के कपड़े से लिपटा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तमंचा पर वस्तु प्रदर्श 3 व उसके कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 4 डाला गया। दिनांक–04.05.2021 को पर्चा नं०– किता करते हुए दिलीप यादव, श्रीमती सोनी, श्रीमती राजमती का बयान अंकित किया गया एवं मृतक प्रदीप यादव के मोबाइल नम्बर के सीडीआर का अवलोकन कर उल्लेक किया गया। पोस्टमार्टम व पंचायतनामा का अवलोकन कर उल्लेख किया गया तथा उसे विवेचना में शामिल किया गया। दिनांक–08.05.2021 को पर्चा नं०–7 किता करते हुए मजरूब महेशयादव का बयान अंकित किया गया एवं लखनऊं मेडिकल कालेज व बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर से इलाज के दौरान मजरूब महेश यादव द्वारा प्राप्त रक्त रंजित टीशर्ट व फर्द मेरे द्वारा तैयार किया गया जिसका स्पष्ट विवरण फर्द में अंकित है। जो कागज सं०–13 क/1 के रूप में शामिल मिसिल है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–8 डाला जावे। इससे संबंधित माल मुकदमाती जिसको खोलकर देखने पर उसके अन्दर एक सफेद पोटली में कटा फटा लाल रंग का टीशर्ट रेडीमेड मिला। जिस पर वस्तु प्रदर्श 5 डाला जावे एवं सफेद पोटली पर वस्तु प्रदर्श 6 डाला जावे।

21. दिनांक–09.05.21 को पर्चा नं०–8 किता करते हुए इस अभियोग से संबंधित सभी अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी तथा उनके पास से बरामद माल मुकदमाती का फर्द तैयार किया गया जिसमे यह उल्लिखित है कि दिनांक–08.05.21 को साक्षी व हमराही पुलिस बल मुखबिर पतारसी सुरागरसी पता हुआ बढ़नी पचपेड़वा तिराहे पर उपस्थित पहले मेरी एस०आई० विक्रम अजीत राय व उनकी टीम के साथ सरकारी वाहन के साथ हमलोग वार्ता कर ही रहे थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मुल्जिम मुड़िला नहर पुलिया के पास बाग में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक मे है तो सूचना पर विश्वास करके वहां उपस्थित लोगों की दो टीम बनायी गयी और एस.आई. जीवन त्रिपाठी अपनी सर्विलांस एवं स्वाट टीम के साथ ग्राम मुकटन की तरफ से तथा सभी टीम के साथ नहर की तरफ से मुल्जिम पुलिस के पास पहुंचे। इस दौरान गवाहान

को साथ मे लेने का प्रयास किया गया। नावक्त होने के कारण कोई मिल न सका। थोड़ी देर बाद पुल के पूरब दक्षिण तरफ बाग के किनारे पहुंचे तब तक बाग में पुलिस से करीब 50 मीटर की दूरी पर बैठे व्यक्ति यह कहकर भागना शुरु किये कि पुलिस आ गयी। भाग रहे व्यक्तियों को स्वाट टीम दौड़कर पकड़ना चाहा तो दो बदमाशों ने जान से मारने की नियत से अपने पास में लिये असलहे से फायर किये। जो बगल से निकल गयी। दो बदमाशो को एचसी आनन्द यावद व का० राजीव शुक्ला , एसआई जीवन त्रिपाठी ने पकड़ लिया। दूसरी तरफ मोटर साइकिल से भाग रहे मुल्जिमों को उपनिरीक्षक विक्रम अजीत राय, उपनिरीक्षक रणविजय सिंह आदि भाग रहे मुल्जिमों मोटर साइकिल सहित पकड़ लिये। कार को स्टार्ट कर भाग रहे बदमाशों को मेरे नेतृत्व में शेष पुलिस बल द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। फायर करने वाले बदमाशों की जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम साबिर बताया। जामा तलाशी में हाथ में लिये तमंचा 315 बोर तथा पैंट की दाहिनी जेब से एक 315 बोर जिंदा कारतूस व तमंचे के नाल से खोखा कारतूस बरामद हुआ। बाये पाकेट से एक अदद मोबाइल बरामद हुआ। माल के बारे में मुल्जिम साबिर ने बताया कि दिनांक–01.05.2021 की रात में दो व्यक्तियों से यह मोबाइल हम लोगों ने छीना था। तमंचे के बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तमंचा चालू हालत में था। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सैय्यद अली उर्फ बब्लू पुत्र मुन्नू उर्फ मुन्न निवासी ग्राम मदरहिया थाना–ढेबरुआ, सिद्धार्थनगर बताया। इसके कब्जे से हाथ में लिये तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। तमंचा चालू हालत में था। जिसका हुलिया फर्द में उल्लिखित है। उसकी जामा तलाशी से पहने हुए पैंट के बाये जेब से एक अदद 315 बोर जिंदा कारतूस, दाहिने जेब से 2 अदद मोबाइल, एक समसंग व दूसरा रेडमी कंपनी का मिला। समसंग में मोबाइल नं०–9958743926 की सिम लगी हुयी पायी गयी जो मृतक प्रदीप यादव के सेट का मोबाइल नं० है।

22. पूछताछ में अभियुक्त सैय्यद ने बताया कि दिनांक–01.05.21 को रात्रि में मैं तथा साबिर उपरोक्त और रफीकुल्लाह खान पुत्र अब्दुल्लाह खान निवासी दुधवनिया बुजुर्ग थाना ढेबरुआ, सिद्धार्थनगर, रामदेव विश्वकर्मा, निवासी ग्राम भरौली थाना ढेबरुआ की मोटरसाइकिल यूपी 55J 6493 होंडा साइन लेकर खैरी जुवाआ की तरफ गये थे और वहां मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों को रोकर लूटपाट किये थे। उनके विरोध करने पर हम लोगो ने चाकू मार दिया था जिससे एक की मौत हो गयी थी। उसकी मोबाइल हम लोग ले लिये थे। इसी प्रकार भाग रहे तीसरे व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रफीकुल्लाह खान पुत्र अब्दुल्ला बताया जिसकी तलाशी में उसके दाहिने हाथ में लिये एक अदद गुफी चाकू जिसका विवरण फर्द में अंकित है। यह चाकू हमे शानू उर्फ आफाक अहमद ने दिया था। इसके साथ–साथ उन्होंने ने मुझे एक 315 बोर का तमंचा दिया था जो जल्दबाजी में घटना के समय छूट गया। हम लोगों ने उन लोगों मोटर साइकिल व मोबाइल छीनकर मौके से भाग लिया था। यह वहीं मोटर साइकिल है

जिसका नं० DL65AQ 8395 है। चौथे व्यक्ति ने अपना नाम रामदेव विश्वकर्मा बताया। जिसके कब्जे से हत्या व लूट में प्रयुक्त मोटर साइकिल नं०–यूपी० 55 J 6493 बरामद हुयी। जिसके संबंध में रामदेव ने बताया कि यह मेरी मोटसाइकिल है जिसको मेरे दोस्त साबिर, सैय्यद, व रफीकुल्लाह उपरोक्त खर्च निकालने के लिए मागे थे और मैं दे दिया था। कार सं०–यूपी० 35 AH 5317 I20 सफेद रंग में बैठे व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो एक ने अपना नाम शानू उर्फ आफाक अहमद , दूसरे ने अपना नाम पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन व तीसरे ने अपना नाम बब्बू उर्फ मैनुद्दीन बताया। पूछताछ करने पर तीनों ने बताया की हम लोग दोस्त है और लूट के इरादे से बैंठे थे। शानू से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि यह कार मेरी है जिसके डिग्गी में बम रखा है। डिग्गी खोलकर चेक करने पर एक टिन के छोटे डिब्बे में काली पन्नी में रखा एक बम मिला जिसका ढ़क्कन बंद था। जिसको सुरक्षा के लिहाज से निकालकर बालू व मिट्टी से भरी बाल्टी में रखकर कब्जे में लिया गया। प्रदीप यादव को रफीकुल्लाह खान ने सीने के नीचे मध्य भाग पर चाकू मारा था। जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी तथा सैय्यद ने राड से महेश को ऊपर हमला किया था। चाकू से भी हमला किया था।

23. मुल्जिमान द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से अवैध असलहे से फायरिंग की गयी तथा मौके पर आला कत्ल चाकू व अवैध तमंचे अभियुक्तगण के पास से बरामद हुए थे। बरामदी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त सैय्यद अली उर्फ बब्लू के विरुद्ध धारा–3/25 आर्म्स एक्ट, रफीकुल्लाह खान के विरुद्ध 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट साबिर के विरुद्ध 3/25 आर्म्स एक्ट व शानू उर्फ आफाक अहमद के विरुद्ध धारा–4/25 विस्फोटक पदार्थ अधि० का अपराध योजित किया गया और साबिर व सैय्यद के विरुद्ध पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से धारा 307 भा०दं०सं०कायम किया गया था। सातो अभियुक्तों को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए दिनांक–09.05.2021 को समय 03.0 बजे हिरासत में लिया गया और मौके पर फर्द तैयार किया गया। फर्द की एक–एक प्रति अभियुक्तगण को दी गयी और गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी गयी. तथ्यों के आधार पर हत्या के संबंध में पंजीकृत मु०अ०सं० 95/2021 धारा–394, 302 भा०दं०सं० के साथ 412/120 बी भा०दं०सं० की वृद्धि की गयी। फर्द कागज सं०–5 के रूप में एसटी 948/2021 सरकार बनाम साबिर, धारा–3/25 आर्म्स एक्ट थाना ढेबरुआ मु०अ०सं० 91/2021 में शामिल है। जिस पर प्रदर्श क–9 डाला जावे।

24. इससे संबंधित माल मुकदमाती न्यायालय के आदेशानुसार खोला गया। जिसमें मृतक के सिम–1 Slot में है पर वस्तु प्रदर्श–7 डाला जावे। रेडमी कंपनी के मोबाइल पर वस्तु प्रदर्श–8, महेश के फोन कोमियो मोबाइल पर वस्तु प्रदर्श–9, उसके पोटली पर वस्तु प्रदर्श–10, पहले पोटली पर वस्तु प्रदर्श–11, पहले डिब्बे पर वस्तु प्रदर्श–12, दूसरे डिब्बे पर वस्तु प्रदर्श–

13, गुप्ती चाकू पर वस्तु प्रदर्श–14, उसके राड भेत्लकवर पर वस्तु प्रदर्श–15, काले रंग के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–16, सील बंद कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–17, तमंचा 315 बोर पर वस्तु प्रदर्श–18, खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–19, जिंदा कारसूत पर वस्तु प्रदर्श–20, पोटली पर वस्तु प्रदर्श–21, पाचवे सील पोटली खोलने पर एक अदद तमंचा जिस पर वस्तु प्रदर्श– प्रदर्श–22, खोखा कारतूप पर वस्तु प्रदर्श–23, जिंदा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–24 व सफेद पोटली पर वस्तु प्रदर्श–25 डाला जावे। मुकदमे से संबंधित माल मुकदमाती जैसे मोटरसाइकिल । 20 कार सम्बधित थाने में दाखिल कराया गया है और माल मुकदमाती (विस्फोटक पदार्थ) सुरक्षा के लिहाज से पहले ही मिट्टी और बालू में रखकर सरुक्षित किया गया था। जिसको बाद में निष्क्रीय कराकर परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा गया था। बादहू अभियुक्त सैय्यद अली, साबिर, रफीकुल्लाह, रामदेव, शानू उर्फ आफाक, पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन, बब्लू उर्फ मैनुद्दीन से पूछताछ कर बयान दर्ज किया गया। दिनांक–10.05.2021 को पर्चा नं०–9 किता करते हुए साक्षी एसआई जीवन त्रिपाठी, एचसी आनन्द प्रकाश, कांस्टेबल मृत्युन्जय कुशवाहा, राजीव शुक्ला, वीरेन्द्र तिवारी अखिलेश यादव, दिलीप द्विवेदी, उप नि० रणविजय सिंह का बयान अंकित किया गयाा। दिनांक–24.05.2021 को पर्चा नं०–13 किता किया गया जिसमे साक्षी श्रीमती गुड़िया, श्री सुरेश यादव, श्री लवकुश यादव, श्रीम राम बली यादव, और रमेश यादव से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया गया। दिनांक–10.06.21 को पर्चा नं०–17 किता करते हुए का० लवकुश वर्मा, एचसी रविन्दर सिंह, एचसी चन्दकेश व साक्षी श्री सोमई, श्री रामदयाल यादव और श्री दिलीप यादव से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया गया है। उसके उपरान्त मेरा प्रभारी निरीक्षक थाना ढेबरुआ से प्रभारी निरीक्षक थाना जोगिया के पद पर स्थानान्तरण हो जाने के कारण इस अभियोग की अग्रिम विवेचना नि० श्री दिनेश चन्द्र चौबे तत्कालीन प्रभारी नि० थाना ढेबरुआ द्वारा संपादित किया गया।"

25. साक्षी पी०डब्लू०–7 उपनिरीक्षक रणविजय सिंह वर्तमान तैनाती थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "मैं दिनांक–01.05.2021 को थाना ढेबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था कि थाना कार्यालय से मु०अ०सं०–95/21, धारा–302, 394 भा०दं०सं० पंजीकृत होकर संबंधित एफ०आई०आर वास्ते मुकदमा उपरोक्त से संबंधित मृतक प्रदीप यादव पुत्र रामदयाल यादव साकिन–भेलौहा थाना इटवा जिला सिद्धार्थनगर के शव का पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ। कि थाना कार्यालय से हमराह कांस्टेबल लवकुश वर्मा व कांस्टेबिल पंकज वर्मा को व पंचायतनामा से संबंधित कागजात व अन्य सामग्री लेकर घटना स्थल खैरी उर्फ झुगहवा पुलिया के पास पहुंचा, कुछ देर पश्चात प्रभारी निरीक्षक तहसीलदार सिंह मय हमराह सरकारी गाड़ी से पहुंच गये। मौके पर देखा गया कि मृतक का शव सड़क पुलिया के पास सूखे गड्ढे में चित दशा में

पड़ा था। तथा मृतक के परिजन और आस पास के काफी लोग इकट्ठा थे। मृतक के परिजन रो विलाप कर रहे थे। मौजूद भीड़ में से पंचान नियुक्त करके उनके कर्तव्य अधिकार से अवगत कराकर मृतक प्रदीप यादव उपरोक्त के शव का पंचायतनामा के कार्यवाही में प्रभारी निरीक्षक तहसीलदार के निर्देशन में प्रारम्भ किया गया। नवक्त रात्रि होने के कारण मुकिर होकर दिनांक–02.05.2021 को मृतक के शव का पंचायतनामा पूरा किया गया।

शव की दशा– मृतक का सिर उत्तर, पैर दक्षिण, दोनों हाथ पहलू में, जिसमे दाहिना हाथ फैला था, दोनों आंख बंद, मुख अधखुला, हल्ला दांत दिखाई दे रहा था जो चित दशा में पड़ा था।

हुलिया– गोल चेहरा, रंग गेहुआ, एकहरी मजबूत जिस्म, आंख, कान नाक कद औसत उम्र करीब 25 वर्ष।

पहनावा– मृतक के शरीर पर शर्ट फुलबाह, पिंक कलर, पैंट क्रीम कलर, जूता नीला कलर, मोजा ग्रे कलर, बेल्ट बक्कलदार भूरे रंग का, गले में ताबीज व ओम पीली धातु का लाकेट दाहिने हाथ में लाल रंग का कलावा धागा बंधा था। दाहिने हाथ के बीच वाली अंगुली में अंगूठी सफेद धातु का नगशुदा, सफेद हाफ बनियान, अंडरवीयर अमूल कंपनी रंग नीला, कलर करधन कमर में रंग लाल, गमछा सफेद रंग का था।

चोट– मृतक के शव को हमराह कर्मियों की मदद से उल्टवा पल्टवा कर देखा गया तो मृतक के सीने पर मध्य में चोट खूनालूद था अन्य कोई जाहिरा चोट नहीं दिखाई दे रहा था।

राय पंचान– मृतक के मृत्यु के संबंध में नियुक्त पंचान से एक साथ व अलग–अलग पूछ ताछ किया गया तो बताये कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके सीने में चाकू मार कर हत्या किया गया है।

26. पंचानों की राय से मेरी भी राय मेल खाती है। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक था। इसलिए मृतक के शव को बाडी बैग में रखकर चैन बंद करके सील सर्व मोहर करके नमूना तैयार करके वास्ते पोस्टमार्टम आरक्षी लवकुश वर्मा व आरक्षी पंकज वर्मा को सुपुर्द कर पोस्टमार्टम हाउस सिद्धार्थनगर रवाना किया गया। मौके पर ही पंचनामा लिखकर सभी संबंधित के हस्ताक्षर बनवाये गये थे। जिस पर मेरा भी हस्ताक्षर बना हुआ है। पंचनामा मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–10 डाला जाय। मृतक के शव के पूरब करीब तीन कदम दूर स्थिति एक अदद कट्टा 315 बोर व 20 कदम पूरब एक लोहे का राड पड़ा हुआ था। जिसे विवेचक द्वारा कब्जे में लेकर फर्द तैयार किया गया था। पुलिस फार्म का०सं०–9क/2 व 9क/3, फोटो शवनाश कागज संख्या–10क/1, प्रपत्र पत्र प्रतिसार निरीक्षक का०सं०–12क/3, पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी

का०स०–12 क/4 जो शामिल पत्रावली है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–11, प्रदर्श क–12, प्रदर्श क–13 , प्रदर्श क–14 व प्रदर्श क–15 डाला जाय। फर्द बरामदगी कागज स०–13 क/1 दिनांकित–08.05.2021 को प्रभारी निरीक्षक तहसीलदार सिंह द्वारा बोलने पर मेरे द्वारा लिखा गया। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। जिस पर पूर्व में ही प्रदर्श क–8 डाला जा चुका है। शामिल पत्रावली फर्द बरामदगी दिनांकित–09.05.2021 की छायाप्रति कागज सं०–14 क/1 ता 14 क/4 है, जो विवेचक तहसीलदार सिंह द्वारा बोलने पर उपनिरीक्षक विक्रमअजीत राय के द्वारा लिखा गया है जिस पर मेरा हस्ताक्षर है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर पूर्व में ही प्रदर्श क–9 डाला जा चुका है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

27. साक्षी पी०डब्लू०–8 निरीक्षक दिनेश चन्द्र चौधरी वर्तमान प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बस्ती जनपद बस्ती ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि " मैं दिनांक 19.06.2021 को थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। इसी दिन मु.अ.सं 95/2021 धारा 302, 394,412, 120 बी आईपीसी की विवेचना मैने ग्रहण किया था। दिनांक 29.06.2021 को पर्चा नं. 22 किता किया जिसमें अभियुक्तगण साबिर, सैय्यद अली उर्फ बब्लू, रफीकुल्लाह खान, रामदेव विश्वकर्मा, सानू उर्फ आफाक अहमद, पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन, बबलू उर्फ मैनुद्दीन का रिमांड की याचना की गयी। दिनांक 02.07.2021 को पर्चा न. 23 किता किया गया जिसमें पूर्व किता किये गये पर्चों का अवलोकन किया गया। दिनांक 19.07.2021 को पर्चा नं. 25 किता किया गया जिसमें फर्द के गवाह उप निरीक्षक शिवदास गौतम का बयान अंकित किया गया। अब तक की तमामी विवेचना, बयान गवाहान, फर्द माल बरामदगी व इलेक्ट्रानिक साक्ष्य व अन्य संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण सैय्यद अली उर्फ बब्लू, साबिर, रफीकुल्लाह खान, रामदेव विश्वकर्मा, सानू उर्फ आफाक अहमद, पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन, बबलू उर्फ मैनुद्दीन के विरुद्ध धारा 302, 394, 412, 120 बी आईपीसी का अपराध बखूबी साबित पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र शामिल पत्रावली कागज सं. 3 क/1 लगायत 3 क/16 हैं, जो मेरे निर्देशन में टंकित व तैयार किया गया है, जिसपर मेरा हस्ताक्षर बना हुआ है जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिसपर प्रदर्श क–16 डाला गया। "

28. साक्षी डी०डब्लू०–1 बदरे आलम पुत्र अब्दुल कय्यूम साकिन दुधवनियां बुजुर्ग थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "दिनांक 08.05.2021 को मैं अपने घर पर था। इसी दिन लगभग 6 बजे शाम को सानू के घर के पास शोर सुनाई दिया तो मैं वहां पर गया। देखा कि थाना ढेबरूआ के थानाध्यक्ष मेरे गाँव के सानू उर्फ अफाक अहमद, बब्लू उर्फ मैनुद्दीन, रफीकुल्लाह, सिराजुद्दीन उर्फ पाण्डेय को गाड़ी में जबरजस्ती

बैठा रहे थे। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि इन्हें क्यों बैठा रहे हो तो पुलिस वालों ने बताया कि पूछताछ करने के लिए ले जा रहे हैं, कल इन्हें छोड़ देंगे, तथा मेरे ही गाँव के इस्तियाक जो सानू के भाई हैं जो कि हुंडई गाड़ी रखे थे। जिसको पुलिस 06.05.2021 को ही उनके घर से उठाकर ले गई थी। मैं सानू के भाई के साथ थाने पर गया था और 8 तारीख को थाने में खड़ी गाड़ी का फोटो मोबाइल से खींचा था। जिसको मोबाइल से निकालकर कोर्ट में दाखिल है। इन सभी लोगों को फर्जी तरीके से पुलिस द्वारा चालान कर दिया गया है। जबकि मुल्जिम द्वारा कोई घटना नहीं किया गया है। इसीलिए मैंने अपना बयान जरिए रजिस्ट्री शपथ पत्र के माध्यम से भेजा था। जिसकी फोटो कॉपी पत्रावली में संलग्न है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मैंने इस घटना के संबंध में इस मामले के विवेचक को बयान दिया था। सानू उर्फ अफाक अहमद, बब्लू उर्फ मैनुद्दीन, रफीकुल्लाह, सिराजुद्दीन उर्फ पाण्डेय को इस मामले में जबरजस्ती फंसा दिया गया है। दिनांक 08.05.2021 से 09.05.2021 तक इन सभी लोगों को पुलिस ने थाने पर बैठाया था और 8/9.05.2021 की घटना दिखाते हुए फर्जी चालान कर दिया है। ”

29. साक्षी डी०डब्लू०–2 खलकुल्लाह पुत्र हशमुल्लाह साकिन–दुधवनियां बुजुर्ग थाना ढेबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "सानू उर्फ आफाक, रफीकुल्लाह, बब्लू उर्फ मैनुद्दीन, सिराजुद्दीन उर्फ पाण्डेय मेरे गाँव के रहने वाले हैं। दिनांक 08.05.2021 को शाम को लगभग 6 बजे थाना ढेबरुआ के थानाध्यक्ष मेरे ही गाँव के सानू उर्फ आफाक अहमद, रफीकुल्लाह, बब्लू उर्फ मैनुद्दीन, सिराजुद्दीन उर्फ पाण्डेय को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जा रहे थे, तो मैंने पूछा कि इन लोगों को कहां ले जा रहे हो, तब थानाध्यक्ष महोदय ने कहा कि पूछताछ करने के ले जा रहे हैं। कल छोड़ देंगे। लेकिन दिनांक 08/09.05.2025 की फर्जी घटना दिखाते हुए पुलिस वालों ने इन लोगों का गलत तरीके से चालान कर दिया है। मेरे गाँव के इस्तियाक जो सानू के भाई हैं। उनकी गाड़ी को दो दिन पहले ही ढेबरुआ थाने की पुलिस उठाकर ले गई थी। मैं बदरे आलम नेता के साथ थाने पर गया था और इस्तियाक भी था। जहां पर इस्तियाक की खड़ी गाड़ी का फोटो भी 08 तारीख को खींचा गया था। मैंने जरिए रजिस्ट्री शपथ पत्र के माध्यम से विवेचक को अपना बयान भेजा था। जो शामिल पत्रावली है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया है।”

30. मैंने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

31. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिये गये कि–

(i) दिनांक 01.05.2021 समय रात्रि करीब 8 बजे अभियुक्तगण ने लूटपाट की और लूटपाट के अनुक्रम में प्रदीप यादव को जान से मारने के आशय से चाकू से वार कर उसकी हत्या करी दी।

(ii) अभियोजन साक्षियों द्वारा घटना को साबित किया गया है इनकी साक्ष्य में कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है जो अभियोजन कथानक को खण्डित करता हो।

(iii) मेडिकल साक्ष्य के साथ–साथ अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी घटना की पुष्टि करते हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये।

32. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये कि–

(i) प्रकरण अज्ञात के विरूद्ध दर्ज किया गया है सभी अभियुक्तों को झूठा फंसाया गया है।

(ii) मोटरसाइकिल पर तीन अभियुक्तों के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये अभियुक्त और शेष अभियुक्तों के आपराधिक षड्यन्त्र को साबित नहीं किया गया है।

(iii) अभियुक्तगण की शिनाख्त नहीं करायी गयी है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के सम्बन्ध में विवेचक ने घोर लापरवाही प्रदर्शित की है। 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

(iv) विवेचक ने अत्यन्त लापरवाही पूर्ण विवेचना करते हुए बिना किसी साक्ष्य के निर्दोष व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

33. उभय पक्षों के तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित विवाद्यक बिन्दुओं पर निष्कर्ष आना आवश्यक है।

1– क्या तीन अज्ञात अभियुक्तों जिनको पुलिस द्वारा एक साथ मोटरसाइकिल पर गिरफ्तार किया गया है, उनके द्वारा घटना कारित की गयी है।

2– क्या तीन अभियुक्तों के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तों के प्रकरण में शामिल करने के लिए विवेचक ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत की है।

3– क्या विवेचक ने घटना में बरामद लोहे की राड तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के सम्बन्ध में लापरवाही पूर्ण कार्यवाही करते हुए अभियोजन कथानक को क्षति पहुँचायी है।

34. अभियोजन द्वारा अपना प्रकरण साबित करने के लिए प्रस्तुत किये गये साक्षियों ने अपनी मुख्य परीक्षाओं में घटना का समर्थन किया है। पी०डब्लू०–1 रामदयाल (मृतक का पिता) ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समय रात करीब 8 बजे ग्राम खैरी उर्फ झुनहवा में पुलिया के पास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू मारकर हत्या करने तथा प्रदीप की मोटरसाइकिल व पोको मोबाइल तथा महेश का मोबाइल लेकर भागने का कथन किया जिसमें महेश को भी चोटें

आने का उल्लेख है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया है कि उसके घर से उसके लड़के की ससुराल लगभग 12 किमी. दूर है। उसने कोई घटना अपनी आँखों से नहीं देखा था। जो उसको बताया गया वही दरखास्त उसने दी। किसी मुल्जिम को पहचानने की कार्यवाही/शिनाख्त उससे पुलिस ने नहीं करवायी। मुकदमे में जो मुल्जिम बनाये गये हैं उन्हें वह पहले से नहीं जानता था। इस मुकदमे में दरोगा ने उसका कोई बयान नहीं लिया। उसने पुलिस को कोई मोबाइल नम्बर नहीं बताया था। पुलिस के लोगों ने जो बताया था वही बयान उसने मुख्य परीक्षा में दिया।

35. पी०डब्लू०–2 महेश, जो इस घटना में चश्मदीद साक्षी है उसके अनुसार घटनास्थल पर जब ये लोग पहुँचे तो एक मोटरसाइकिल से तीन लोगों ने उनको टोका। उस समय ये लोग प्रदीप की मोटरसाइकिल पर थे। मोटरसाइकिल को उन लोगों ने रोक लिया और पहले उसे राड से मारा जिससे मोटरसाइकिल से गिर गया। जब प्रदीप बचाने आये तो उसके चाकू मार दिया। साक्षी के अनुसार उसका मोबाइल तथा प्रदीप की मोटरसाइकिल ले गये। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि उसके साथ जिसने घटना की थी आज तक उसे जान पहचान नहीं पाया। उसने दौरान विवेचना किसी अभियुक्त का नाम, पहचान व हुलिया नहीं बताया था। सबसे पहले उसके साथ घटना हुई थी, उसके तुरन्त बाद वह बेहोश हो गया था। उसके साथ उसके साडू प्रदीप भी थे। उनके साथ घटना कब हुई कौन मारा वह नहीं बता पायेगा। उसका जो सामान छीना गया था वह उसे आज तक नहीं मिला। उसे अपने मोबाइल का नम्बर पता नहीं है। उस मोबाइल में जो सिम था वह किसके नाम था याद नहीं। आज तक उसने अपना मोबाइल नहीं देखा। उस मोबाइल की कोई रसीद उसके पास नहीं है। कहाँ से खरीदा था यह याद नहीं। उसने किसी मुल्जिम को पहचाना नहीं था। वह अपने घर से शाम को दिन डूबने के समय निकलता था। प्रदीप यादव का मोबाइल नम्बर उसे नहीं पता। यह कहना गलत है कि "दरोगा ने मेरा बयान नहीं लिया था मैंने दरोगा को अपना मोबाइल नम्बर नहीं बताया था।" साक्षी ने आगे बताया कि उसे जिसने मारा वह देख नहीं पाया, तीन लोग थे परन्तु चेहरा नहीं पहचान पाया, लम्बे थे काले–गोरे थे, उसे कोई जानकारी नहीं है, न ही यह बात उसने विवेचक को बतायी थी। विवेचक को कद काठी के बारे में नहीं बताया था। उसे चोट लगने के 10 –15 दिन बाद विवेचक उसके घर आये थे, फिर कहा कि 3–4 दिन बाद आये थे। यह कहना सही है कि इस घटना में बनाये गये मुल्जिमानों को न तो घटना के समय देखा था, न पहले से जानता था। विवेचक ने मुल्जिमानों की पहचान नहीं करायी थी।

36. पी०डब्लू०–3 राजमती (मृतक की माता)ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि उसने अपनी आँखों से कोई घटना नहीं देखी थी। घटना के बारे में महेश जानेंगे। महेश को थोड़ा सा चोट लगा था। साक्षी के अनुसार वह अपने लड़का जो मृतक हो गया है उसके साथ घटना के दिन कहीं नहीं गयी थी, इसलिए नहीं बता सकती कि वह घर से निकलकर कहाँ–कहाँ गया।

किसी मुल्जिम को नाम से या शक्ल से नहीं जानती है। उससे पुलिस द्वारा कोई शिनाख्त नहीं करायी गयी थी।

37. पी०डब्ल०–4 चिकित्सक संजय चौधरी हैं जिनके द्वारा मृतक प्रदीप का पोस्टमार्टम किया गया इसने मृतक के शरीर पर सीने पर दोनों निप्पल के बीच गहरा घाव (स्टेप बून्ड) जो बायें निप्पल से 8 सेमी. दाहिने तरफ था। जिसका साइज 2.5 सेमी. x 1 सेमी तथा x 6 सेमी. गहरा दिल तक होना बताया। इसने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि मृतक के शरीर पर केवल एक चोट पायी गयी जिसको उसने स्टेप बून्ड लिखा है। सरिया से मारने पर चोट में लेशरेशन रहेगा। इस मृतक की चोट में लेशरेसन नहीं पाया गया था। गर्मी के दिनों में शरीर में सड़न एक दिन के बाद शुरू हो जाती है। शरीर की अकड़न गर्मी के दिन में 1 दिन बाद खत्म हो जाती है। मृतक की मृत्यु दिनांक 01.05.2021 को शाम 5 बजे हो सकती है। मृतक को चोट सीने पर दोनों निप्पल के बीच में लगी थी। मृतक के शरीर पर संघर्ष और रगड़ के निशान नहीं थे।

38. पी०डब्लू०–5 चिकित्सक महेन्द्र कुमार जिसके द्वारा महेश की चिकित्सा की गयी है, जिसमें उसके शरीर पर दो चोटों का उल्लेख है। इसने प्रतिपरीक्षा में बताया कि चोटहिल महेश को डॉक्टरी कराने उसका भाई सुरेश लाया था। महेश की चोटों की कोई सप्लीमेंटरी रिपोर्ट उसने नहीं देखी थी। महेश की स्थिति सामान्य थी, कोई असामान्यता नहीं थी, खून बह रहा था, चोटें ताजा लिखी थी। चोट नं०–1 कुन्द वस्तु से आ सकती है। चोट नं०–2 तीक्ष्ण धारदार हथियार से आना सम्भव है। चोट नं०–2 घोपा हुआ घाव नहीं था। दोनों चोटें दुर्घनावश आ सकती है।

39. पी०डब्लू०–**5क** दुर्विजय प्रसाद ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि एफ.आई.आर. लिखाने वादी मुकदमा स्वयं आया था। आज मूल जी०डी० मेरे सामने नहीं है। तहरीरी दरखास्त का लेखक वादी के साथ थाने पर नहीं आया था। तहरीरी प्रपत्र में किसी अभियुक्त का नाम नहीं है।

40. पी०डब्लू०–6 तहसीलदार सिंह ने विवेचक के रूप में अभियुक्तों की गिरफ्तारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए बताया है कि दिनांक 06.05.2021 को मृतक प्रदीप यादव के मोबाइल नम्बर के पुनः प्राप्त सी.डी.आर. का अवलोकन किया और मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की गयी। बदमाशों ने भागते समय फायर भी किया तथा मोटरसाइकिल से भाग रहे और कार से भाग रहे व्यक्तियों को पकड़ लिया। फायर करने वाले बदमाश ने अपना नाम साबिर बताया जिसकी तलाशी से घटना से सम्बन्धित वस्तुएं बरामद हुईं। इसी प्रकार अभियुक्त सैय्यद अली के पास से अन्य वस्तुओं के साथ–साथ मृतका प्रदीप यादव का मोबाइल सेट बरामद हुआ तथा रफीकुल्लाह के पास से घटना में कथित रूप से प्रयुक्त किया गया चाकू और प्रदीप की मोटरसाइकिल बरामद हुई। चौथे व्यक्ति रामदेव के पास से वह मोटरसाइकिल जिससे उपरोक्त तीन व्यक्तियों ने घटना कारित की थी उसका उल्लेख है। कार

संख्या UP 35 AH 5317, i20 में बैठे हुए अभियुक्तों शानू उर्फ अफाक, पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन व बबलू उर्फ मैनुद्दीन ने अपने को आपस में दोस्त बताया और डकैती की तैयारी करने का और कार की डिक्की में बम होने का खुलासा किया। अभियुक्तगण के पास से जो अस्त्र–शस्त्र या इस मुकदमे के अतिरिक्त वस्तुएँ बरामद की गयी थी उनके सम्बन्ध में पृथक से मुकदमें पंजीकृत कराये गये।

41. विवेचक ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि अभियुक्त रामदेव नामजद नहीं था। दौरान विवेचना रामदेव का नाम दिनांक 09.05.2021 को प्रकाश में आया। उसकी मोटरसाइकिल जिसे घटना में प्रयोग करना कहा जाता है उसके आधार पर प्रकाश में लाया गया। विवेचना में मोटरसाइकिल नम्बर यू पी 55 जे 6493 होण्डा साइन के बारे में पता किया तो मालूम चला कि यह रामदेव के नाम से आर.टी.ओ. ऑफिस में रजिस्टर्ड है। इस मोटरसाइकिल के अलावा अभियुक्त रामदेव के पास से घटना से सम्बन्धित कोई अन्य सामान बरामद नहीं हुआ था। अभियुक्त रामदेव की गिरफ्तारी के बाद उसकी शिनाख्त मुकदमें से सम्बन्धित वादी से नहीं करायी गयी थी। यह कहना गलत होगा कि "अभियुक्त रामदेव के दुश्मनों की साजिश में होकर रामदेव को उसके घर से पकड़कर थाने लाये और फर्जी तरीके से चालान कर इस मुकदमें में अभियुक्त बना दिया।" यह कहना गलत है कि यू पी 55 जे 6493 होण्डा साइन रामदेव के नाम से आर.टी.ओ. ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं है।

42. साक्षी/विवेचक ने आगे बताया कि मुकदमा एक अज्ञात व्यक्ति के नाम से था। सैय्यद अली उर्फ बब्लू, रफीकुल्लाह और साबिर इस घटना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। जब उन अभियुक्तों का बयान लिया गया वे उसकी अभिरक्षा में थे। इन अभियुक्तों के अतिरिक्त शानू उर्फ आफाक अहमद, रामदेव विश्वकर्मा, पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन, बबलू उर्फ मैनुद्दीन प्रकाश में आये थे। इस घटना के पूर्व इन अभियुक्तों द्वारा नेपाल में मनी एक्सचेंज सेन्टर लूटने की योजना बनायी गयी थी। इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं है कि मुल्जिमान इस मामले के मृतक की हत्या करेंगे और लूट करेंगे। उसने सी.डी.आर. के आधार पर अभियुक्तों का नाम प्रकाश में लाया है। उसने मृतक प्रदीप यादव के मोबाइल नम्बर 9958743924 और 7380614451, 7718864994 तथा 7570037944 का सी.डी.आर. निकलवाया था जिससे निकलवाया था उसका बयान नहीं लिया था। सी.डी.आर. सम्बन्धित विभाग से प्रमाणित नहीं है। उसने 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नहीं लिया। सी.डी.आर. उसने 04.05.2021 को प्राप्त किया। जिन मोबाइल नम्बरों का उसने सी.डी.आर. निकाला उसकी प्रदाता कम्पनी के किसी अधिकारी/कर्मचारी का बयान इसने नहीं लिया। इन नम्बरों का स्वामी कौन था इसका प्रमाण पत्र प्रदाता कम्पनी से नहीं लिया। कथित मोबाइल नम्बर कौन उपयोग करता था अभियुक्त के अलावा किसी और का बयान नहीं लिया। उसने मृतक के अलावा किसी भी मोबाइल सिम की रिकवरी

नहीं की थी। अभियुक्त शानू उर्फ आफाक के भाई शेख इश्तियाक को मोबाइल पर सूचना दी गयी थी उन्हीं को सभी के परिजनों को बताने के लिए कहा गया था। इसके अलावा और किसी को सूचना नहीं दी गयी थी। गिरफ्तारी का समय रात्रि 3 बजे अंकित है। चोटहिल साक्षी जो जीवित है उससे मुल्जिमानों की शिनाख्त नहीं करायी थी, इसलिए नहीं करायी थी कि वह घायल था। उसने हुलिया पूछा था उसका अंकन केस डायरी में है या नहीं वह नहीं बता सकता, फिर कहा कि अंकन नहीं किया है जब उसने 161 दं०प्र०सं० का बयान चोटहिल का लिया था उस समय बयान देने में सक्षम था।

43. विवेचक ने यह भी बताया कि उसने आलाकत्ल को फोरेंसिक नहीं भेंजा था, अंगुली छाप भी नहीं लिया था। पंचायतनामे के समय लाश के पास से एक तमंचा और एक लोहे का राड मिला था जो उसने रिकवर किया था उसे भी उसने जाँच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा था। अभियुक्त सैय्यद अली उर्फ बब्लू का मोबाइल बरामद हुआ था जिसमें मृतक का सिम लगा था। इसके अलावा एक और मोबाइल बरामद हुआ था। अभियुक्त साबिर के पास से भी कोपिया कम्पनी का मोबाइल बरामद हुआ था। मृतक के सिम के बारे में उसके पिता ने बताया था। मृतक प्रदीप यादव का सिम किसके नाम से खरीदा गया वह नहीं बता सकता। इसने सी.डी.आर. के आधार पर किसी का बयान नहीं लिया था। मृतका का सिम न्यायालय में पेश कर उसे साबित नहीं किया है। मुल्जिमानों साबिर, सैय्यद अली और रफीकुल्लाह से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू रफीकुल्लाह से बरामद हुआ। उसकी फोरेंसिक जाँच उसने नहीं करायी थी। सैय्यद अली से जो सिम बरामद हुआ था और अभियुक्तगण द्वारा दी गयी स्वीकृति के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गयी। पुलिस पार्टी में किसने किसकी तलाशी ली याद नहीं। फर्द लिखने में लगभग 3–4 घण्टा लगा।

44. विवेचक ने बताया कि प्रस्तुत मामले में लूट की कोई योजना(विशेष) अभियुक्तों ने नहीं बनायी। साबिर, सैय्यद उर्फ बब्लू और रफीकुल्लाह भी लूट की योजना से निकले थे। साबिर और सैय्यद ने ही पुलिस पर फायर किया था। लूट की घटना कारित करने से पूर्व सभी अभियुक्तगण एक ढाबे पर एकत्रित हुए थे, बुद्धा ढाबे पर एकत्रित हुए थे। उसने बुद्धा ढाबे के किसी कर्मचारी या मैनेजर का बयान नहीं लिया था। उनका बयान लिखने के लिए उसने कोई नोटिस नहीं दिया था। सी.डी.आर. में सभी मुल्जिमानों का एक जगह इकट्ठा होने का उल्लेख नहीं है। उसने सभी मुल्जिमानों के सी.डी.आर. से एक जगह इकट्ठा होने का मिलान के सम्बन्ध में प्रयास किया था। विवेचक ने यह भी स्वीकार किया कि यदि सेवाप्रदाता से सिम के मालिक के बारे में पूछताछ की गयी होती तो उनके मालिक का पता चल गया होता। इससे यह भी पता चल जाता कि अभियुक्तगण ही उन नम्बरों का प्रयोग करते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बुद्धा होटल पर

अभियुक्तगण कितने बजे बैठे थे वह नहीं बता सकता। इसका उल्लेख फर्द में नहीं है। उसने इसको पता करने का प्रयास किया था, लेकिन केस डायरी में इसका उल्लेख नहीं किया।

45. पी०डब्लू०–7 उपनिरीक्षक रणविजय सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे बताया कि पंचायतनामे के समय मौके पर बरामद कट्टे का फर्द अलग से तैयार हुआ था। पंचायतनामा तैयार होते समय कोई फिंगर प्रिन्ट डी.एन.ए. सेम्पल नहीं लिया गया था। वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए जिले में फोरेंसिक टीम होती है। उसने पंचायतनामा तैयार करते समय वैज्ञानिक साक्ष्य के लिए फोरेंसिक टीम को सूचना नहीं दिया था। उसके द्वारा व तहसीलदार सिंह के द्वारा फोरेंसिक टीम को सूचना देने का उल्लेख पंचायतनामा में नहीं है। यदि फोरेंसिक टीम को सूचना देने का प्रयास किया गया होता तो उसका उल्लेख पंचायतनामे में होता। पंचायतनामा के समय बरामद कट्टे व लोहे के राड को मौके पर सील किया था। कट्टे व लोहे के राड की फिंगर प्रिन्ट सुरक्षित नहीं किया गया था। नमूना मुहर तहसीलदार सिंह ने तैयार किया था। किसकी सील मुहर से सील हुआ था वह नहीं बता सकता। जिस समय पंचायतनामा तैयार किया गया उस समय घटना करने वालों के विरूद्ध कोई साक्ष्य इकट्ठा नहीं किया गया था। जिस समय पंचायतनामा तैयार हुआ उस समय लोहे के राड व तमंचे से कोई फिंगर प्रिन्ट लेने का प्रयास विवेचक द्वारा नहीं किया गया था। पहले फर्द तैयार की गयी थी फिर गिरफ्तारी मेमों तैयार हुआ था। गिरफ्तारी दिनांक 09.05.2021 की है न कि दिनांक 08.05.2021 की। मौके पर मुल्जिमों को कितने बजे रोका गया और मुठभेड़ हुआ वह नहीं बता सकता। कागज सं०–15 क/1 पर लिखी सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ उसके ही हस्तलेख में है। फर्द कितने बजे तैयार हुआ था नहीं बता सकता। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के कितने पूर्व बरामदगी हुई थी नहीं बता सकता। फर्द लिखने में कितना समय लगा था नहीं बता सकता। गिरफ्तारी से पूर्व ही अभियुक्तों से माल रिकवर हो चुका था। यह सही है कि अभियुक्तगण गिरफ्तार होने और पुलिस अभिरक्षा में होने के बाद उनसे कोई रिकवरी नहीं हुई। किस अभियुक्त की कौन तलाशी लिया था इसकी उसे जानकारी नहीं। दिनांक 09.05.2021 को अभियुक्तगण के पास से जो भी माल बरामद हुआ था उसको मौके पर ही सील कर दिया गया था। सारी रिकवरियाँ दिनांक 09.05.2021 को एक ही स्थान पर हुई थी। जिस समय पुलिस कस्टडी में बयान अभियुक्तों का लिया गया था। अभियुक्तगण द्वारा घटना करने का षड्यन्त्र किया गया था इसकी उसे जानकारी नहीं थी। मौके से बरामद मोटरसाइकिलें थाने पर कौन लेकर आया था, किसने किस अभियुक्त को पकड़ा था नहीं बता सकता। मौके से बरामद कार कौन चलाकर लाया था नहीं बता सकता। जब मुल्जिमानों को थाने में दाखिल किया गया था तो उनकी तलाशी ली गयी थी किसके पास से क्या मिला यह नहीं बता सकता। फर्द कितने प्रतियों में तैयार हुआ था याद नहीं। फर्द की अन्तिम लाइन नोट में यह लिखा है कि "फर्द की एक प्रति अभियुक्तगण को दी

गयी।" यह नहीं लिखा है कि प्रत्येक अभियुक्तगण को एक–एक प्रति फर्द की दी गयी। सारे अभियुक्तगण को फर्द की प्रति देने का उल्लेख फर्द में नहीं है।

46. पी०डब्लू०–8 निरीक्षक दिनेश चन्द्र चौधरी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि दिनांक 09.05.2021 को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर पूर्व विवेचक के आधर पर अभियुक्तों का नाम लाया गया था। उसने अभियुक्तों का रिमाण्ड दो बार लिया, परन्तु उनसे कोई पूछताछ नहीं किये थे। उसने पूर्व विवेचक का बयान भी नहीं लिया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु कोई रिमाण्डर नहीं भेजा। जिस समय आरोप पत्र प्रस्तुत किया था विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं थी। इस मामले में चोटहिल महेश से अभियुक्तों की शिनाख्त नहीं करायी थी। यदि चोटहिल से पहचान करायी जाती तो अभियुक्तों की शिनाख्त हो सकती थी, यह सम्भव था कि नहीं, नहीं बता पायेगा। इस सम्बन्ध में उसने पूर्व विवेचक या चोटहिल से कोई प्रश्न नहीं किया था, जबकि साक्षी चोटहिल ने धारा–161 दं०प्र०सं के बयानों में अभियुक्त का हुलिया बताया है पर अवलोकन के दौरान उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वादी रामलाल का बयान लिया गया था उसने मृतक द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले मोबाइल का नम्बर नहीं बताया।

47. दौरान विवेचना सी.डी.आर. का विश्लेषण, मोबाइल नम्बर 9958743926 का अवलोकन किया गया। यह मोबाइल नम्बर किसके नाम पर था इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। उसके पूर्व विवेचक ने भी प्रदीप यादव, रामदेव, रफीकुल्लाह, सैय्यद अली अथवा किसी भी मोबाइल नम्बर के पंजीकरण का साक्ष्य प्राप्त नहीं किया। घायल महेश का मोबाइल नम्बर किसके नाम से पंजीकृत है। मृतक की पत्नी के मोबाइल नम्बर के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं है। इसी प्रकार शोनू उर्फ आफाक और बबलू उर्फ मैनुद्दीन के मोबाइल नम्बर का भी कोई साक्ष्य नहीं है। दौरान विवेचना सी.डी.आर. किससे प्राप्त किया गया उसका कोई बयान नहीं लिया गया। सी.डी.आर. किसने दिये, कहाँ से प्राप्त किये विवेचना में इसका उल्लेख नहीं है। सी.डी.आर. पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है और न ही किसी अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हैं। चूँकि मृतक प्रदीप कुमार व घायल महेश कुमार और उसकी पत्नी का मोबाइल नम्बर प्राप्त कर चुका था इसलिए सर्विलांस से हुई दूरभाषिक वार्ता के अनुक्रम में सी.डी.आर. व कैप हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। दौरान विवेचना उसने व उसके पूर्व विवेचक ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अधीन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया और न ही प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया। दौरान विवेचना उसने आरोप पत्र लगाते समय सभी अभियुक्तों के विरूद्ध धारा– 302, 394, 412, 120 बी भा०दं०सं० में आरोप पत्र प्रेषित किया था, लेकिन उसने किन अभियुक्तगण द्वारा 120 बी भा०दं०सं के अधीन षड्यन्त्र किया गया और किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हत्या किया गया नहीं बताया। दौरान विवेचना बरामदगी 09.05.2021 की है जिसमें अभियुक्तगण सैय्यद

अली, साबिर, रफीकुल्लाह खान मौके पर चोटहिल व मृतक की हत्या करते समय उपस्थित थे इन्हीं द्वारा चोटहिल व मृतक के साथ घटना कारित की गयी थी। अभियुक्त रामदेव विश्वकर्मा, पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन, बबलू उर्फ मैनुद्दीन व शानू उर्फ आफाक द्वारा घटना में षड्यन्त्र करने की बात बतायी गयी। षड्यन्त्र किस जगह, कहाँ और कैसे की गयी उस जगह वह नहीं गया और षड्यन्त्र बनाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य भी इकट्ठा नहीं किया। फर्द दिनांक 09.05.2021 में षड्यन्त्र बनाये जाने के स्थान का उल्लेख है, परन्तु उस जगह के आस–पास के किसी साक्षी का बयान न ही उसके द्वारा, न ही पूर्व विवेचक द्वारा लिया गया है। यदि वह और उसका पूर्व विवेचक उस जगह पर जाते तो सम्भव था कि षड्यन्त्र के सबूत मिलते। 120 बी भा०दं०सं० के अधीन अभियुक्तगण द्वारा षड्यन्त्र करने के सम्बन्ध में पुलिस अभिरक्षा में दिये गये बयान के आधार पर ही धारा–120 बी भा०दं०सं० में आरोप पत्र प्रेषित किया है। दिनांक 09.05.2021 को अभियुक्तगण द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लूट करने के षड्यन्त्र की बात बतायी गयी है, वह लूट नेपाल में जाकर करने की बतायी थी, वह घटना घटित नहीं हुई। इसी लूट के लिए शानू ने असलहा उपलब्ध कराया था, लेकिन वह घटना नहीं हुई।

48. डी०डब्लू०–1 बदरे आलम ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि शानू उर्फ आफाक अहमद, रफीकुल्लाह, बब्लू उर्फ मैनुद्दीन, सिराजुद्दीन उर्फ पाण्डेय उसके ही गाँव के निवासी हैं। अभियुक्तगण उसके दूर के पट्टीदार हैं। अभियुक्तगण ने उससे न्यायालय आकर गवाही देने के लिये कहा था। उसके गाँव के उक्त मुल्जिमानों से और पुलिस वालों के बीच में कोई दुश्मनी थी कि नहीं उसे मालूम नहीं है। यह कहना गलत है कि, "अभियुक्तगण मेरे पट्टीदार हैं इसलिए उनको बचाने के लिए मैं आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रही हूँ।"

49. डी०डब्लू०–2 खलकुल्लाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि शानू उर्फ आफाक अहमद, रफीकुल्लाह, बब्लू उर्फ मैनुद्दीन, सिराजुद्दीन उर्फ पाण्डेय उसके ही गाँव के निवासी हैं, जो उसकी ही बिरादरी के हैं। अभियुक्तगण से पुलिस विभाग से कोई दुश्मनी नहीं थी यह उसकी जानकारी में नहीं है। यह कहना गलत है कि " अभियुक्तगण मेरे गाँव के निवासी हैं इसलिए उनसे नाजायज लाभ लेकर उनको बचाने के लिए आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।" वह अपने निजी साधन से आया है। वह मुल्जिमान के साथ नहीं आया है। वह बदरे आलम के साथ आया है। मुल्जिमान ने उसे कोई किराया भाड़ा नहीं दिया है।

<u>निष्कर्ष</u>

50. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं।

51. दिनांक 01.05.2021 की रात्रि लगभग 8 बजे घटित होने वाली इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई तथा दूसरा घायल हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज की

गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार सिवान में पुलिया के पास अज्ञात व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी तथा प्रदीप की मोटरसाइकिल व मोबाइल तथा महेश का मोबाइल लेकर भाग गये। इस घटना के खुलासे के रूप में पुलिस द्वारा घटना के लगभग 8 दिन बाद दिनांक 09.05.2021 को अभियुक्तगण को घटना से सम्बन्धित वस्तुओं के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी कॉल डिटेल तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर की गयी, जिसमें मृतक प्रदीप के मोबाइल नम्बर जिसे घटना में लूटा गया था उसकी सीडीआर भी प्राप्त की गयी।

52. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। घटना का चश्मदीद साक्षी चोटहिल महेश है, लेकिन रात्रि होने के कारण वह अभियुक्तगण को पहचानने में असमर्थ रहा है। घटना एक पुलिया पर सुनसान स्थान पर कारित की गयी जहाँ घटना के समय पीड़ित पक्ष के अलावा घटना कारित करने वाले ही थे, अन्य कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सम्बन्ध में माननीय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Criminal Appeal No. 608/2013 Ramu Appa Mahapatar Versus The State of Maharashtra dated 04.02.2025** में यह निर्धारित किया गया है कि, "परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से विवादित तथ्य को सिद्ध नहीं करता, बल्कि यह विभिन्न अन्य तथ्यों के साक्ष्य पर आधारित होता है, जो विवादित तथ्य से इतने निकटता से जुड़े होते हैं कि उन्हें समग्र रूप से देखने पर परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनती है, जिससे मुख्य तथ्य के अस्तित्व का विधिक रूप से अनुमान लगाया जा सकता है या उसे मान लिया जा सकता है। यह श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए और श्रृंखला का प्रत्येक तथ्य सिद्ध किया जाना आवश्यक है।"

53. वर्तमान प्रकरण में अभियोजन को पुष्ट करते हुए वादी मुकदमा ने यह बताया है कि पुलिया के पास अज्ञात व्यक्तियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी तथा प्रदीप की मोटरसाइकिल और पोको मोबाइल और महेश का मोबाइल लेकर भाग गये थे। इस प्रकार घटनाक्रम मुख्य रूप से प्रदीप की मोटरसाइकिल तथा प्रदीप और महेश के मोबाइल नम्बर और मोबाइल फोन पर आधारित है, परन्तु इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में पी०डब्लू०–1 के रूप में यह बताया कि उसने पुलिस को कोई मोबाइल नम्बर नहीं बताया था, जबकि विवेचक के अनुसार वादी ने मृतक का फोन नम्बर बताया था। इस बात पर बचाव पक्ष द्वारा बल देते हुए यह कहा गया था कि पुलिस को मृतक का मोबाइल नम्बर कैसे प्राप्त हुआ यह स्पष्ट नहीं है, परन्तु वादी मुकदमा जो एक अनपढ़ व्यक्ति है उसके केवल यह कहने से कि उसके द्वारा मोबाइल नम्बर नहीं बताया गया था, प्रदीप मृतक के मोबाइल नम्बर के सम्बन्ध में कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि प्रदीप के साथ मौके पर महेश भी घायल हुआ था और उसका मोबाइल भी लूटा गया था। पी०डब्लू०–2 के रूप में चोटहिल साक्षी महेश ने यह बताया कि मोटरसाइकिल वह स्वयं चला रहा था। जब वे घटना स्थल पर पहुँचे तब एक मोटरसाइकिल से तीन आदमी पहुँचे और उसको रोका। पहले उसे

राड से मारा जिससे वह मोटरसाइकिल से गिर गया, चाकू से मारा फिर जब प्रदीप बचाने आया तो प्रदीप को चाकू से मारा। उसका व प्रदीप का मोबाइल छीन लिये व मोटरसाइकिल भी छीन ली गयी, परन्तु इस साक्षी ने भी प्रतिपरीक्षा में अपना मोबाइल नम्बर याद न होने का कथन किया है साथ ही यह बताया है कि उसे प्रदीप का मोबाइल नम्बर पता नहीं है। इस साक्षी ने यह बताया है कि उसे जिसने मारा था वह देख नहीं पाया था, तीन लोग थे। परन्तु चेहरा नहीं पहचान पाया था। उसने विवेचक को कद–काठी के बारे में नहीं बताया था उसको चोट लगने के चार–पांच दिन बाद विवेचक गये थे। यह सही है कि इस घटना के मुल्जिमों को न तो उसने घटना के समय देखा था, न ही पहले से जानता था। विवेचक ने मुल्जिमों की पहचान उससे नहीं करायी थी। इस प्रकार यह साक्षी इस बात के बावजूद की इसे अपना और मृतक प्रदीप का मोबाइल नम्बर याद न होने का कथन करता है, परन्तु इस बात की पुष्टि होती है कि मृतक और इसके पास मोबाइल फोन थे। उन मोबाइलों की रसीद, उनके नम्बरों का याद न होना वर्तमान समय में कोई महत्व नहीं रखती है, क्योंकि सम्भव ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके पास आज के समय में अपना मोबाइल नम्बर न हो।

54. जहाँ तक अभियुक्तों की पहचान करने का सम्बन्ध है, इसने इस बात की पुष्टि की कि घटना में तीन व्यक्ति शामिल थे। रात अन्धेरा होने के कारण उनको न पहचान पाने का तर्क सामान्य है, कोई भी व्यक्ति रात में किसी अन्जान व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकता जब तक कि लाइट का कोई अच्छा स्रोत न हो। घटना अचानक की गयी थी। घटना की विभत्सता इस प्रकार थी कि न केवल महेश को चोटें लगी, बल्कि प्रदीप की हत्या हो गयी। यह तर्क दिया गया कि विवेचक ने तीनों अभियुक्तों की पहचान चोटहिल साक्षी से नहीं करायी है। रात के अन्धेरे में हमला करने वाले अज्ञात व्यक्तियों की पुलिस द्वारा पीड़ित से पहचान कराने या न कराने का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, या तो साक्षियों का यह कहना होता कि उन्होंने घटनास्थल पर हमला करने वाले व्यक्तियों को पहचान लिया था तब उनकी पहचान कराने या न कराने का परिणाम निकलता। इस कारण अन्धेरे में घटना करने वाले अज्ञात व्यक्तियों की शिनाख्त परेड न कराना अभियोजन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता है।

55. वस्तुतः इस प्रकरण का सर्वोत्तम साक्षी पी०डब्लू०–6 के रूप में विवेचक श्री तहसीलदार सिंह है, जिसने इस घटना के सम्बन्ध में सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसने कथित तौर पर घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्तगण से मुकदमे से सम्बन्धित माल की बरामदगी दर्शित की, जिसमें तीन व्यक्ति सैय्यद अली, साबिर और रफीकुल्लाह द्वारा मोटरसाइकिल से घटना कारित करना और विरोध करने पर चाकू मार देने, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु होने का कथन किया। मृतक प्रदीप के मोबाइल का सिम सैय्यद अली ने लिया और उसका सेट रफीकुल्लाह ने लिया। इन तीनों व्यक्तियों ने इस वारदात को रामदेव विश्वकर्मा की

मोटरसाइकिल से कारित करने का भी कथन किया। इन अभियुक्तों के पास से प्रदीप की मोटरसाइकिल जिसका नम्बर DL6 SAQ 8395 है बरामद हुआ। शेष चार अभियुक्तों के सम्बन्ध मे अभियोजन ने यह वर्णन किया कि रामदेव विश्वकर्मा ने घटना कारित करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल दी थी तथा शानू उर्फ आफाक ने घटना में प्रयुक्त होने वाला चाकू दिया था और 315 बोर का तमंचा भी दिया था। इस घटना को करने का कारण पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन की पुत्री की शादी में होने वाले खर्च को निकालना था। इस प्रकार चार व्यक्ति जिन्होंने इस घटना को कारित करने में तीन अभियुक्तों की मदद की उनको इस घटना के षड्यन्त्रकारी के रूप में दर्शित किया गया। चार अभियुक्त शानू उर्फ आफाक अहमद, पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन, बब्लू उर्फ मैनुद्दीन तथा रामदेव विश्वकर्मा के पास से घटना से सम्बन्धित कोई वस्तु बरामद नहीं की गयी है, बल्कि इन्होंने मुख्य अभियुक्तों की मदद की है इस पर बल दिया गया है।

56. इस सम्बन्ध में विवेचक ने इस बात को स्वीकार किया है कि अभियुक्त रामदेव का नाम दिनांक 09.05.2021 को प्रकाश में उस मोटरसाइकिल के आधार पर आया जिससे घटना कारित की गयी थी। इस मोटरसाइकिल के अलावा अभियुक्त रामदेव के पास से घटना से सम्बन्धित अन्य कोई सामान बरामद नहीं है। विवेचक के अनुसार घटना में प्रत्यक्ष रूप से सैय्यद अली, साबिर व रफीकुल्लाह शामिल थे। इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं है कि मुल्जिमान इस मामले के मृतक की हत्या करेंगे और लूट करेंगे। इस प्रकार अभियोजन कथानक मुख्य रूप से पुलिस के समक्ष अभियुक्तगण द्वारा की गयी संस्वीकृति पर आधारित हो गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा– 25, 26 व 27 पुलिस अधिकारी से की गयी संस्वीकृतियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान करती है।

> **धारा–25– पुलिस ऑफिसर से की गयी संस्वीकृति का साबित न किया जाना–** किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध साबित न की जायेगी।
>
> **धारा–26– पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृती का उसके विरूद्ध साबित न किया जाना–** कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो, जब वह पुलिस ऑफिसर, की अभिरक्षा में हो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध साबित न की जायेगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति में न की गयी हो।
>
> **धारा–27– अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी–** परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृती की कोटि में आती हो या

नहीं, जितनी तद्द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया सम्बन्धित है, साबित की जा सकेगी।

57. विवेचक द्वारा तैयार की गयी फर्द जिसमें सभी अभियुक्तों ने अपने–अपने द्वारा कथित रूप से की गयी घटनाओं की संस्वीकृति पुलिस पार्टी के समक्ष की है उनको पुलिस अभिरक्षा में होने के कारण विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इस सम्बन्ध में पी०डब्लू०–7 ने यह स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी से पूर्व ही मुल्जिमों से माल रिकवर हो चुका था। यह सही है कि अभियुक्तगण गिरफ्तार होने और पुलिस अभिरक्षा में होने के बाद उनसे कोई रिकवरी नहीं हुई थी। सारी रिकवरियाँ दिनांक 09.05.2021 को एक ही स्थान पर हुई थी। जिस समय पुलिस कस्टडी में अभियुक्तों का बयान लिया गया था। विवेचक तहसीलदार ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह बात स्वीकार की है कि अभियुक्तगण द्वारा दी गयी स्वीकृति के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गयी थी, परन्तु विवेचक ने पुलिस अभिरक्षा में की गयी स्वीकृति मान्य न होने के कारण उसे साक्ष्य में ग्राह्य होने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्तगण का संस्वीकृतिकारक कथन अंकित कराने का कोई प्रयास नहीं किया।

58. वस्तुतः विवेचक तहसीलदार सिंह ने प्रकरण के खुलासे में अत्यधिक लापरवाही और त्रुटिपूर्ण विवेचना की। इसके द्वारा प्रत्येक स्तर पर अभियोजन कथानक को खण्डित करने का प्रयास किया गया। पी०डब्लू०–7 ने इस बात को स्वीकार किया है कि पंचायतनामे के समय मौके से बरामद कट्टे का फर्द अलग से तैयार किया गया था। पंचायतनामा तैयार करते समय कोई फिंगर प्रिन्ट, डी.एन.ए. सैम्पल नहीं लिया गया था। वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीम को भी सूचना नहीं दी गयी। बरामद कट्टे व लोहे के राड़ को मौके पर सील किया गया। कट्टे व लोहे की राड को फिंगर प्रिन्ट हेतु सुरक्षित नहीं किया गया। नमूना मुहर तहसीलदार सिंह ने तैयार किया था। जिस समय पंचायतनामा तैयार किया गया उस समय घटना करने वालों के विरूद्ध कोई साक्ष्य इकट्ठा नहीं किया गया।

59. श्री तहसीलदार सिंह(विवेचक) ने स्वयं अपनी साक्ष्य में इस बात को स्वीकार किया है कि उसने आलाकत्ल को फोरेंसिक नहीं भेजा था, अंगुली छाप भी नहीं लिया था। पंचायतनामा के समय लाश के पास से एक तमंचा और एक लोहे की राड मिली थी। जो माल उसने रिकवर किया था वह उसने जाँच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा था। विवेचक द्वारा किये गये इस कृत्य का यह प्रभाव पड़ा कि मृतक जिसकी मृत्यु चाकू से मारने से बतायी गयी है उसकी चोट के सम्बन्ध में चिकित्सक ने यह बताया है कि मृतक को जो घाव सीने पर आया है वह किसी लोहे के राड या सब्बल या नुकीले राड से आ सकता है। मृतक के शरीर पर सीने पर दोनों निप्पल के बीच में गहरा घाव जो स्टेप बून्ड था जो बायें निप्पल से 8 सेमी. दाहिने तरफ था जिसकी साइज 2.5 सेमी. x 1.00 सेमी. तथा 6 सेमी गहरा दिल तक था, जबकि अभियुक्त के

पास से घटना के लगभग 8 दिन बाद उसी चाकू की कथित बरामदगी दर्शित की गयी जिसके द्वारा हत्या की गयी हो। जो चाकू बरामद किया गया था उसका भी कोई वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित नहीं किया गया। अभियोजन के पास इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि घटनास्थल पर घटना के तुरंत बाद पाये गये लोहे की राड को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जाँच के लिए क्यों नहीं भेजा गया। इसी कारण मजरूब महेश की चोटों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई।

60. घटना का खुलासा करते समय विवेचक ने तीन व्यक्तियों को घटना कारित करने औऱ रामदेव द्वारा उन्हें अपनी मोटरसाइकिल देने तथा अन्य अभियुक्तों द्वारा चाकू और तमंचे देने का कथन किया है. परन्तु उन सभी व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। विवेचक ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्तगण उस घटना को कारित करने से पहले बुद्धा ढाबे पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसने बुद्धा ढाबे के किसी कर्मचारी या मैनेजर का बयान नहीं लिया। सीडीआर में सभी मुल्जिमों का एक जगह इकट्ठा होने का उल्लेख नहीं है। बुद्धा होटल पर मुल्जिमान कितने बजे बैठे थे वह नहीं बता सकता इसका उल्लेख फर्द में नहीं है। उसने पता करने का प्रयास किया था लेकिन केस डायरी में इसका उल्लेख नहीं किया। इसकी गैर–जिम्मेदाराना विवेचना की पुष्टि पी०डब्लू०–8 के रूप में निरीक्षक श्री दिनेश चन्द्र चौधरी भी करते हैं, जिसने अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है, परन्तु उसने भी कोई लाभकारी विवेचना नहीं की है। इसने बताया है कि अभियुक्त रामदेव, सिराजुद्दीन, बब्लू उर्फ मैनुद्दीन व शानू उर्फ आफाक द्वारा इस घटना में षड्यन्त्र करने की बात बतायी गयी है। षड्यन्त्र किस जगह, कहाँ और कैसे किया गया उस जगह पर वह नहीं गया था और षड्यन्त्र बनाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य इकट्ठा नहीं किया था। फर्द दिनांक 09.05.2021 में षड्यन्त्र बनाये जाने के स्थान का उल्लेख है, परन्तु उस जगह के आस–पास के किसी साक्षी का बयान न तो इसके द्वारा और न ही पूर्व विवेचक द्वारा लिया गया है। यदि वह व उसके पूर्व विवेचक उस जगह पर जाते तो संभव था कि षड्यन्त्र के सबूत मिलते। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि दोनों विवेचक जितना संभव था उतना अभियोजन के कथानक को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे।

61. दिनांक 01.05.2021 को रात्रि 8 बजे घटित होने वाली घटना जिसकी सूचना थाना प्रभारी के रूप में श्री तहसीलदार सिंह को 23 बजकर 50 मिनट पर प्राप्त हो गयी थी। वह स्थल थाने से 8 किमी. दूर था। दिनांक 01.05.2021 को ही पुलिस टीम मौके पर पहुँची परन्तु इनके द्वारा दिनांक 02.05.2021 को पंचायतनामे की कार्यवाही की गयी। पंचायतनामा प्रदर्श क–10 में इस बात का उल्लेख है कि मौके पर 1 अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद लोहे का राड शव के पास बरामद हुआ, परन्तु लोहे के राड में रक्त लगा था या नहीं इसका कोई उल्लेख ऐसा लगता है कि जानबूझकर नहीं किया गया। इसी कारण फोरेंसिक टीम को मौके पर नहीं

बुलाया गया और न ही उस राड को जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। इस कारण घटना में प्रयुक्त किये गये हथियार के सम्बन्ध में घोर विरोधाभास दर्शित हुआ है।

62. विवेचक सीडीआर के आधार पर अभियुक्तों का नाम प्रकाश में लाना बताता है। यह तर्क दिया गया कि जिन मोबाइल नम्बरों की सीडीआर के आधार पर अभियुक्तगण को शामिल किया गया है उस सीडीआर के सम्बन्ध में धारा–65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र अथवा अन्य औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी हैं। इस कारण इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।

63. यह स्पष्ट हुआ है कि विवेचक ने प्रदीप यादव का मोबाइल नम्बर 9958743924 बताया है इसके साथ–साथ उसने तीन अन्य नम्बर 7380614451, 7718864994 एवं 7570037944 का सीडीआर भी निकाला है। इन नम्बरों के सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा धारा–65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र न होने के अतिरिक्त यह प्रश्न किये गये कि इन नम्बरों का स्वामी कौन था इसका प्रमाण पत्र प्रदाता कम्पनी से नहीं लिया। कथित मोबाइल नम्बर कौन उपयोग करता था, किसी अन्य का बयान नहीं लिया है। उसने मृतक के अलावा किसी भी मोबाइल सिम की रिकवरी नहीं की। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि सीडीआर धारा–65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परन्तु सीडीआर के सम्बन्ध में जो वर्णन विवेचकों ने किया है उससे सीडीआर के सम्बन्ध में प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है। विवेचक तहसीलदार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में उक्त सीडीआर में क्या तथ्य स्पष्ट हुआ था इसका उल्लेख नहीं किया है।

64. प्रतिपरीक्षा में इसने बताया कि उसने सीडीआर के आधार पर अभियुक्तों का नाम प्रकाश में लाया, परन्तु सीडीआर के आधार पर अभियुक्तों का नाम किस कारण से प्रकाश में आया था इसका कोई उल्लेख नहीं किया। सीडीआर के सम्बन्ध में इसने बताया कि जिन मोबाइल नम्बरों का सीडीआर निकाला गया था, जिसके द्वारा वे सीडीआर निकाले गये थे उसका कोई बयान नहीं लिया। सीडीआर सम्बन्धित विभाग से प्रमाणित नहीं है। अपने लापरवाही के क्रम में यह भी बताता है कि जिन मोबाइलों का सीडीआर निकाला गया था उन नम्बरों का स्वामी कौन था, उन मोबाइल नम्बरों को किसके द्वारा उपयोग किया जाता था अभियुक्तों के अलावा और किसी का बयान इस सम्बन्ध में उसने नहीं लिया। इसी प्रकार आरोप पत्र लगाने वाला विवेचक बताता है कि जिन मोबाइल नम्बरों को अभियुक्त अथवा मृतक का मोबाइल नम्बर होना बताया गाया है उनके स्वामित्व का कोई साक्ष्य नहीं लिया गया अथवा वे नम्बर किसके नाम से पंजीकृत हैं इसकी भी कोई जानकारी नहीं की गयी। सीडीआर कहाँ से प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया इसका भी कोई उल्लेख उसने केस डायरी में नहीं किया। अभियुक्तों की सुरागरसी पतारसी करने के लिए सर्विलांस से जो सीडीआर की याचना की गयी थी उस सम्बन्ध में विवेचना के दौरान

कोई कैप प्राप्त नहीं हुआ था उसने अथवा उसके पूर्व विवेचक ने धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया था।

65. इस कारण पत्रावली में शामिल की गयी सीडीआर जिसमें किस प्रकार से अभियुक्तों को घटनाक्रम में संलिप्त दिखाया गया उसका कोई साक्ष्य विवेचकों ने प्रस्तुत नहीं किया है और धारा–65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र लेने में जो लापरवाही बरती गयी है उसके अलावा सीडीआर को किसने दिया इसका भी कोई उल्लेख केस डायरी में नहीं किया गया। इस प्रकार सीडीआर से भी अभियुक्तगण के सम्बन्ध में कोई तथ्य स्पष्ट नहीं होता है।

66. मौके पर बरामदगी के सम्बन्ध में भी विरोधाभासी बयान दिये गये हैं। जिस मोटरसाइकिल को रामदेव की होना बताया गया उसके सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा पंजीकरण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उस मोटरसाइकिल को श्यामदेव विश्वकर्मा की होना पाया गया है, इसका कोई खण्डन नहीं किया गया है। विवेचक ने बताया है कि अभियुक्तों के अलावा कोई अन्य स्वतंत्र साक्षी नहीं मिला था जो यह बताया हो कि घटना को अभियुक्तगण ने ही कारित किया है। चोटहिल साक्षी जो जीवित है उससे मुल्जिमानों की शिनाख्त नहीं करायी गयी। उससे हुलिया पूछा गया था, परन्तु उसके द्वारा बताये गये हुलिये का केस डायरी में अंकन नहीं किया गया। इस प्रकार इस साक्षी के बयान से यह स्पष्ट होता है कि यदि साक्षी चोटहिल ने हुलिया बताया था तो इसने जानबूझकर हुलिये का अंकन केस डायरी में नहीं किया है।

67. अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी के सम्बन्ध में विवेचक श्री तहसीलदार सिंह ने बताया है कि फर्द लिखने में लगभग 3–4 घण्टा लगा था, जबकि इस फर्द को लिखने वाले साक्षी पी०डब्लू०–7 ने यह बताया कि फर्द कितने बजे तैयार हुई थी वह नहीं बता सकता, न ही यह बता सकता है कि फर्द लिखने में कितना समय लगा था। इसने यह भी बताया कि मौके से बरामद मोटरसाइकिले थाने लेकर कौन आया था वह नहीं बता सकता। किसने किस अभियुक्त को पकड़ा था नहीं बता सकता। मौके पर जाने की जी०डी० रवानगी का समय याद नहीं। मौके से बरामद कार कौन चलाकर लाया था वह यह भी नहीं बता सकता। फर्द की अन्तिम लाइन में यह लिखा है कि फर्द की एक प्रति अभियुक्तगण को दी गयी यह नहीं लिखा है कि प्रत्येक अभियुक्तगण को एक–एक प्रति फर्द की दी गयी। सारे अभियुक्तगण को फर्द की एक–एक प्रति देने का उल्लेख फर्द में नहीं है। इससे भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी के सम्बन्ध में संदिग्धता उत्पन्न होती है। इस प्रकार निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट हुए हैं–

1. विवेचक श्री तहसीलदार सिंह जोकि घटना के समय थाना प्रभारी भी था घटना की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उसने घटना स्थल पर शव के पास पाये गये तमंचे और लोहे की राड की फोरेंसिक जाँच और प्रयोगशाला जाँच नहीं करायी। घटना में प्रयुक्त हथियार के सम्बन्ध में उसके द्वारा जानबूझकर लापरवाही की गयी।

2. श्री तहसीलदार सिहं ने अभियुक्तों की स्वीकृति के आधार पर घटनाक्रम वर्णित किया जिनमें तीन अभियुक्तों द्वारा घटना कारित करने व शेष चार अभियुक्तों द्वारा हथियार, मोटरसाइकिल आदि प्रदान करने तथा घटना में सहयोग करने का वर्णन किया, परन्तु उसकी सम्पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

3. धारा–27 साक्ष्य अधिनियम के तहत की गयी बरामदगी के सम्बन्ध में भी नियमों का पालन नहीं किया। मोटरसाइकिल और सिम की बरामदगी का कोई ऐसा साक्ष्य जो विश्वसनीय हो पत्रावली में शामिल करने का प्रयास नहीं किया।

4. सीडीआर के सम्बन्ध में अत्यधित लापरवाही दर्शित की, अपनी मुख्य परीक्षा में सीडीआर में क्या दर्शित हुआ अंकन नहीं किया। सीडीआर किससे प्राप्त हुई उसका भी कोई उल्लेख नहीं किया। आपराधिक षड्यन्त्र का कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं किया।

5. इसी प्रकार पंचायतनामा करने वाले इसके अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी ने भी मौके पर फोरेंसिक टीम को नहीं बुलाया। मौके पर प्राप्त लोहे की राड की वैज्ञानिक जाँच कराने का प्रयास नहीं किया। पंचनामा करने वाले इसके अधीनस्थ कर्मचारी ने इस बात का उल्लेख भी नहीं किया कि जो लोहे की राड मौके पर पायी गयी उस पर रक्त लगा था या नहीं। श्री तहसीलदार सिंह और पंचायतनामा करने वाले श्री रणविजय सिंह ने एक प्रकार से वास्तविक स्थिति को छिपाने का प्रयास किया।

6. आरोप पत्र प्रस्तुत करने वाले विवेचक श्री दिनेश चन्द्र चौधरी ने एक महीना विवेचना की जिसमें दो बार अभियुक्तों का रिमाण्ड लिया और उसने उपनिरीक्षक श्री शिवदास के अलावा किसी अन्य साक्षी का बयान नहीं लिया। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में कई स्तर पर विवेचना में की गयी खामी को स्वीकार किया और बताया कि षड्यन्त्र वाली जगह पर वह या उसका पूर्व विवेचक चला जाता तो सही स्थिति स्पष्ट हो जाती। इसी प्रकार यदि मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनियों से मोबाइल नम्बरों की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली जाती तो सही स्थित प्राप्त हो जाती, परन्तु यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि दोनो विवेचकों को घटना के सम्बन्ध में सही स्थति की जानकारी करने से किसने रोका था।

68. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ है कि थाना प्रभारी/विवेचक श्री तहसीलदार सिंह, पंचायतनामाकर्ता श्री रणविजय सिंह और अन्तिम विवेचक श्री दिनेश चन्द्र चौधरी ने घटना के सम्बन्ध में सही तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया है। अभियुक्तों द्वारा की गयी स्वीकृति की कोई पुष्टि नहीं की गयी है। पुलिस अभिरक्षा में उनके द्वारा की गयी स्वीकृति का अन्य अभियोजन साक्ष्य से कोई समर्थन नहीं होता है।

69. अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया गया कि ऐसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियां नहीं जुड़ती हैं जो अभियोजन

कथानक को बल प्रदान कर सके। जिस कारण अभियोजन अपना प्रकरण संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण सैय्यद अली उर्फ बब्लू, साबिर, रफीकुल्लाह खान, शानू उर्फ आफाक अहमद, पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन, बब्लू उर्फ मैनुद्दीन तथा रामदेव विश्वकर्मा अन्तर्गत धारा–302/120 बी, 394/120 बी, 412 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त होने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

70. अभियुक्तगण **सैय्यद अली उर्फ बब्लू, साबिर, रफीकुल्लाह खान, शानू उर्फ आफाक अहमद, पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन, बब्लू उर्फ मैनुद्दीन तथा रामदेव विश्वकर्मा** को अन्तर्गत धारा–302/120 बी, 394/120 बी, 412 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

71. समस्त अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अतः उनके व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

72. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि धारा–437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में प्रत्येक अभियुक्त मु० 20,000–20,000/–रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू अंदर 7 दिन दाखिल करना सुनिश्चित करें।

73. बरामद माल अपील की अवधि तक सुरक्षित रखा जावे। बरामदशुदा माल अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्यथा निमानुसार नष्ट किया जाये।

74. निर्णय की एक प्रति धारा–406 बी.एन.एस.एस./365 दं०प्र०सं० के तहत जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर को प्रेषित की जाये।

दिनांक–28.04.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर
J.O. CODE – UP06336

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–28.04.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर
J.O. CODE – UP06336